gradeup

यूपीएससी ईपीएफओ मासिक करंट अफेयर्स मई 2020

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co

राजनीति एवं शासन

"जन औषधि सुगम" मोबाइल ऐप

खबरों में क्यों है?

• देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 संकट के कारण, जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप लोगों की अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का पता लगाने में काफी मदद कर रहा है।

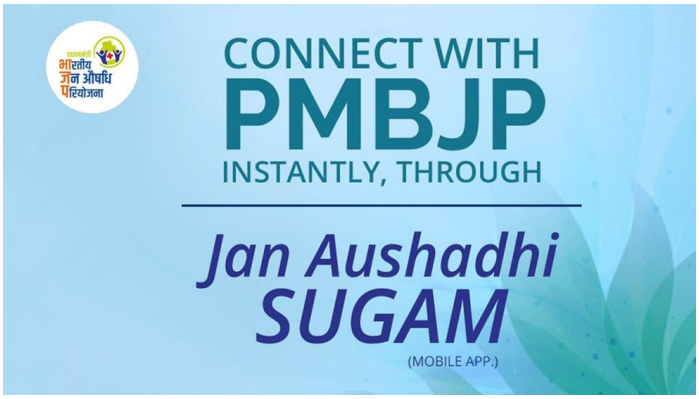

जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप के संदर्भ में जानकारी

• इस मोबाइल एप्लिकेशन को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के फार्मास्युटिकल विभाग के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ फार्मा पी.एस.यू. ऑफ इंडिया (बी.पी.पी.आई.) द्वारा विकसित किया गया है।

• यह ऐप सामान्य जनमानस को उनकी उंगलियों की नोक पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके सुविधा प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत:

• वे नजदीकी जन औषधि केंद्र का पता लगाने जैसे उपयोगकर्ता के अनुकूल विकल्पों की मेजबानी कर सकते हैं

• जन औषधि केंद्र की लोकेशन के लिए गूगल मैप के माध्यम से दिशा निर्देशित, जन औषधि जेनेरिक दवाएँ खोज सकते हैं

• एम.आर.पी. और समग्र बचत आदि के रूप में जेनेरिक और ब्रांडेड दवा की उत्पाद तुलना का विश्लेषण कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में जानकारी

• यह फार्मास्युटिकल्स विभाग द्वारा शुरू किया गया एक विशेष अभियान है जिसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र नामक विशेष केंद्रो के माध्यम से आम लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

• प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना जेनेरिक दवाओं को प्रदान करने के लिए की गई है, जो कम कीमत पर उपलब्ध हैं लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर हैं।

कार्यान्वयन एजेंसी

• ब्यूरो ऑफ फार्मा पी.एस.यू. ऑफ इंडिया (बी.पी.पी.आई.), पी.एम.बी.जे.पी. की कार्यान्वयन एजेंसी है।

• बी.पी.पी.आई. (ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया) की स्थापना फार्मास्युटिकल विभाग के अंतर्गत की गई है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

• गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना

• दवाओं पर जेब खर्च को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के कवरेज का विस्तार करना और इस प्रकार, प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत को पुन: परिभाषित करना

• शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना जिससे कि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने।
• एक सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, सोसायटी, सहकारी निकाय और अन्य संस्थान शामिल हैं।
• सभी चिकित्सीय श्रेणियों में जहाँ भी आवश्यक हो, कम उपचार लागत और आसान उपलब्धता के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करके जेनेरिक दवाओं की मांग का निर्माण करना

गणितीय अनुसंधान प्रभाव केंद्रिक समर्थन (मैट्रिसेस) योजना

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एस.ई.आर.बी.) ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए गणितीय मॉडलिंग और गणनात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए मैट्रिसेस योजना के अंतर्गत 11 परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को मंजूरी प्रदान की है।

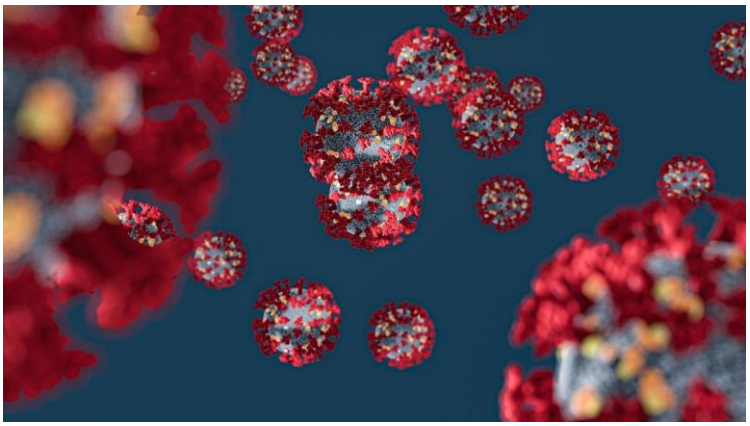

गणितीय अनुसंधान प्रभाव केन्द्रिक सहायता (मैट्रिसेस) योजना के संदर्भ में जानकारी

• इसे वर्ष 2017 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एस.ई.आर.बी.) द्वारा लॉन्च किया गया था।
• इसका उद्देश्य गणितीय विज्ञान में अच्छे परिचय पत्र के साथ सक्रिय शोधकर्ताओं को निश्चित अनुदान सहायता प्रदान करना है।
• इस योजना की मुख्य विशेषता पाठ्यक्रम के संक्षिप्त विवरण के साथ सरलतम एक या दो-पृष्ठ का गणितीय प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगी।

पात्रता

• आवेदक के निम्न क्षेत्रों में एक सक्रिय शोधकर्ता होना चाहिए:

a. गणितीय विज्ञान और संबद्ध क्षेत्र
b. विज्ञान और इंजीनियरिंग (गणितीय विज्ञान को छोड़कर) या
c. सामाजिक विज्ञान में गणितीय, सांख्यिकीय और गणनात्मक तकनीकों का उपयोग करके मात्रात्मक विश्लेषण शामिल है।

• आवेदक के पास पीएच.डी. या एम.डी./ एम.एस./ एम.डी.एस./ एम.वी. एस.सी. डिग्री होनी चाहिए और वह शैक्षणिक संस्थानों/ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं या किसी अन्य मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में नियमित रूप से काम करता होना चाहिए।
• प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि पर आवेदक के सेवानिवृत्त होने में कम से कम चार वर्ष शेष होने चाहिए

विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एस.ई.आर.बी.) के संदर्भ में जानकारी

• यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है।
• यह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 के अंतर्गत स्थापित किया गया था।

उद्देश्य

• इसका उद्देश्य विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऐसे अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं आदि में संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

लक्ष्य

• इसका उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रणालियों का निर्माण करना है, जो बुनियादी अनुसंधान के संवर्धन और वित्तपोषण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं से मेल खाएं।

किसान सभा ऐप: किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन से जोड़ने हेतु है।

खबरों में क्यों है?

• सी.एस.आई.आर.-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.आर.आर.आई.), नई दिल्ली ने हाल ही में एक किसान सभा ऐप विकसित किया है, जो किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ता है।

किसान सभा ऐप के संदर्भ में जानकारी

• किसान सभा का लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना है।
• ऐप का लक्ष्य बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़कर किसानों के लाभ के अंतर को बढ़ाना है।

कार्य

• यह कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एक एकल पड़ाव के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वे एक ऐसे किसान हैं जिन्हें फसलों या मंडी डीलर के लिए बेहतर मूल्य की आवश्यकता होती है, जो अधिक किसानों या ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं जो अनिवार्य रूप से मंडियों से खाली जाते हैं।
• यह निकटतम मंडियों की तुलना करके, सस्ती कीमतों पर मालवाहक वाहनों की बुकिंग करके फसलों की सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने में भी मदद करेगा।

किसान सभा में 6 प्रमुख मॉड्यूल हैं, जो निम्न का ध्यान रखते हैं:

• किसान
• मंडी डीलर
• ट्रांसपोर्टर
• मंडी बोर्ड के सदस्य
• सेवा प्रदाता
• उपभोक्ता

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय समूह के साथ पांच अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी प्रदान की है।
• ये राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हैं।
• बारह राज्य पहले से ही 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत हैं, जो आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा हैं।

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के संदर्भ में जानकारी

• 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड', सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्ड और लाभार्थियों के एक केंद्रीय भंडार के अंतर्गत केंद्र की पी.डी.एस. प्रणाली या पोर्टलों के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पी.डी.एस. प्रणाली या पोर्टलों के एकीकरण की आवश्यक्ताओं पर जोर देता है।

• यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थी, विशेष रूप से प्रवासी, अपनी पसंद की किसी भी पी.डी.एस. दुकान से देश भर में पी.डी.एस. तक पहुँच प्राप्त कर सकें।

उद्देश्य

• कोई भी गरीब व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाए, जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हो।

• इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति की संभावना को दूर करना है।

महत्व:

• इससे लाभार्थियों को स्वतंत्रता मिलेगी क्यों कि वे किसी एक पी.डी.एस. दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।

हालिया सरकारी पहलें:

A. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

• यह वर्ष 2007 में शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।

• इसका उद्देश्य क्षेत्रफल में विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है।

• यह व्यक्तिगत खेत स्तर पर मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करने और कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में काम करता है।

B. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

• इसे 2007 में शुरू किया गया था और इसने राज्यों को जिला/ राज्य कृषि योजना के अनुसार अपनी स्वयं की कृषि और संबद्ध क्षेत्र विकास गतिविधियों को चुनने की अनुमति दी थी।

• इसे 2014-15 में 100% केंद्रीय सहायता के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना में परिवर्तित किया गया था।

• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- तीन वर्ष अर्थात 2017-18 से 2019-20 तक के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प हेतु पारिश्रमिक संबंधी दृष्टिकोण (आर.के.वी.वाई.-सफ्तार) के रूप में नामित किया गया है।

उद्देश्य:

• किसान के प्रयास को मजबूत करने, जोखिम कम करने और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि को एक पारिश्रमिक आर्थिक गतिविधि बनाना
• कृषि उद्यमशीलता और नवाचारों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त कटाई के पहले और बाद के बुनियादी ढांचे पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है

C. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आया था, जिससे कि गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन प्राप्त करने तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
• यह मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास योजना और पी.डी.एस. सहित केंद्र सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की पात्रता को कानूनी अधिकारों में परिवर्तित करता है।
• अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की घर की सबसे बड़ी महिला को घर का मुखिया होना अनिवार्य है।

नोट: सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) लक्ष्य 2- भुखमरी को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना है।

केंद्र, आगामी मानसून के दौरान जल शक्ति अभियान गतिविधियों का विस्तार करेगा।

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्र ने राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान के अंतर्गत अपने जल संरक्षण प्रयासों का विस्तार करने के लिए आगामी मानसून के मौसम का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

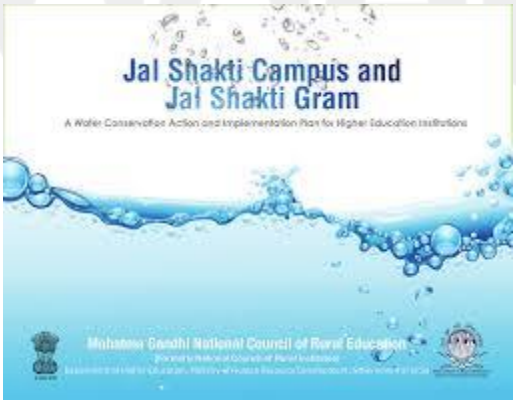

जल शक्ति अभियान के संदर्भ में जानकारी

• इसे 2019 में लॉन्च किया गया था।
• यह मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ एक समयबद्ध अभियान है, जो भारत में 256 जिलों के जल संकटग्रस्त ब्लॉकों में भूमिगत जल स्थितियों सहित पानी की उपलब्धता को सुधारने का इरादा रखता है।

उद्देश्य

• ग्रामीण भारत में परिसंपत्ति निर्माण और संचार अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण और सिंचाई दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन (सार्वजनिक अभियान) बनाना

कार्यान्वयन

• यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों का एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है।

हस्तक्षेप के क्षेत्र

a) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन
b) जल निकायों का नवीनीकरण
c) बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं का नवीनीकरण
d) जलविभाजन विकास और
e) गहन वनीकरण

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

"द सारस कलेक्शन"

खबरों में क्यों है?

• केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जी.ई.एम.) पोर्टल पर "द सारस कलेक्शन" लॉन्च किया है।

सारस कलेक्शन के संदर्भ में जानकारी

• यह जी.ई.एम. और दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.), ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल है, सारस कलेक्शन ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करता है।

• इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों को बाजार की पहुंच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में एस.एच.जी. प्रदान करना है।

इस पहल के अंतर्गत, एस.एच.जी. विक्रेता अपने उत्पादों को 5 उत्पाद श्रेणियों में सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे, जिनके नाम हैं:

a. हस्तशिल्प,
b. हथकरघा और वस्त्र
c. कार्यालय एसेसरीज, किराना और पैंट्री
d. व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.) के संदर्भ में जानकारी

• इसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओ.आर.डी.) द्वारा जून, 2011 में आजीविका- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के नाम से लॉन्च किया गया था।

• नवंबर, 2015 में कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.) कर दिया गया था।

• इसका उद्देश्य कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों का सृजन करते हुए विविध और लाभकारी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के माध्यम से गरीबी को कम करना है।
• यह योजना सामाजिक पूंजी के निर्माण और गरीबी को कम करने और ग्रामीण गरीब महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वित्तीय संबंधों को सुनिश्चित करने का समर्थन करती है।
• इसमें डिजिटल फाइनैंस जैसे वित्तीय समावेशन के वैकल्पिक चैनलों, ग्रामीण उत्पादों के आसपास मूल्य श्रृंखला बनाने और बाजार पहुंच, ग्रामीण उद्यम में सुधार और सामुदायिक संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए नवाचारों पर महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जी.ई.एम.) के संदर्भ में जानकारी

• यह केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में स्थापित 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली धारा 8 कंपनी है।
• जी.ई.एम., सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पी.एस.ई.), स्थानीय निकायों और स्वायत्त संगठनों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक ऑनलाइन, एंड टू एंड समाधान प्रदान करता है।
• यह प्लेटफॉर्म खरीद में मानव हस्तक्षेप को कम करता है और पारदर्शिता, लागत बचत, समावेशिता और चेहराविहीन मानकीकृत सार्वजनिक खरीद की दक्षता को सक्षम बनाता है।

गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में 4 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने आभासी गुट निरपेक्ष आंदोलन (एन.ए.एम.) शिखर सम्मेलन में भाग लिया है।
• शिखर सम्मेलन में कोरोनोवायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सदस्य राज्यों के संवर्धित समन्वय पर चर्चा की गई है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में जानकारी

• यह 120 विकासशील वैश्विक राज्यों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति समूह के साथ या उसके विरूद्ध संरेखित नहीं है।
• एन.ए.एम., संयुक्त राष्ट्र के बाहर के देशों के सबसे महत्वपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 120 विकासशील देश शामिल हैं।
• यह 1955 में बांदुंग सम्मेलन में सहमत सिद्धांतों पर निर्मित था।
• गुटनिरपेक्ष देशों के आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड के पहले शिखर सम्मेलन में व्यापक भौगोलिक आधार पर की गई थी, जो 1 से 6 सितंबर, 1961 को आयोजित किया गया था।
• भारत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन (ए.ए.एम.) के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में 29 सदस्यों के साथ की गई थी।

एन.ए.एम. किस सिद्धांत पर काम करता है?

• जे. एल. नेहरू ने पांच स्तंभों चीन-भारतीय संबंधों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पांच स्तंभों का वर्णन किया है, जिन्हें पंचशील (पांच निरोधक) के नाम से जाना जाता है, ये सिद्धांत बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आधार के रूप में काम करेंगे।

ये पांच सिद्धांत थे:

a. • एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान
b. • पारस्परिक गैर-आक्रामकता
c. • घरेलू मामलों में पारस्परिक गैर-हस्तक्षेप
d. • समानता और पारस्परिक लाभ
e. • शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

झारखंड ने रोजगार सृजन के लिए योजनाएं शुरू की हैं।

खबरों में क्यों है?

• बड़े पैमाने पर फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के अन्य राज्यों से आगमन के बाद गांवों में बेरोजगारी की दर में वृद्धि की संभावना को देखते हुए झारखंड सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए तीन श्रम गहन कार्यक्रम शुरू किए हैं।

ये योजनाएं हैं:

a. बिरसा हरित ग्राम योजना (बी.एच.जी.वाई.)
b. नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना (एन.पी.जे.एस.वाई.)
c. वीर साहिद पोतो हो खेल विकास योजना (वी.एस.पी.एच.के.वी.एस.)

बिरसा हरित ग्राम योजना के संदर्भ में जानकारी

• बी.एच.जी.वाई. दो लाख एकड़ से अधिक की अप्रयुक्त सरकारी बंजर भूमि को वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की परिकल्पना करती है।

• लगभग पांच लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे प्रदान किए जाएंगे।

• प्रारंभिक वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि का काम और वनीकरण का कार्य मनरेगा के माध्यम से किया जाएगा।

नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के संदर्भ में जानकारी

• एन.पी.जे.एस.वाई. के अनुसार, सरकार वर्षा जल और बह जाने वाले भूजल को संचित करके कृषि-जल भंडारण इकाइयों का निर्माण करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

वीर साहिद पोतो हो खेल विकास योजना (वी.एस.पी.एच.के.वी.एस.) के संदर्भ में जानकारी

• वी.एस.पी.एच.के.वी.एस. के अंतर्गत, राज्य भर में 5,000 से अधिक खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे।

• सरकार को चालू वित्त वर्ष में योजना के माध्यम से एक करोड़ व्यक्ति दिन उत्पन्न करने की उम्मीद है।

ऑपरेशन समुद्र सेतु

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में ऑपरेशन "समुंद्र सेतु" शुरू किया है, जिसका अर्थ "सी ब्रिज" है।

ऑपरेशन समुद्र सेतु के संदर्भ में जानकारी

• यह ऑपरेशन रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में किया जा रहा है। भारतीय नौसैनिक निकासी ऑपरेशन शुरू करने के लिए जहाज जलाशवा और मगर वर्तमान में मालदीव गणराज्य के मेल बंदरगाह के मार्ग मे है।

• कोविड-19 से संबंधित अनोखी चुनौतियों को देखते हुए भी सख्त प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है।

• वापस लाए गए कर्मियों को कोच्चि, केरल में उतारा जाएगा और राज्य अधिकारियों को देखभाल के लिए सौंपा जाएगा।

• मालदीव गणराज्य में भारतीय मिशन, नौसैनिक जहाजों द्वारा वापस लाए जाने वाले भारतीय नागरिकों की एक सूची तैयार कर रहा है और अपेक्षित चिकित्सा स्क्रीनिंग के बाद उन्हें भेजने की सुविधा प्रदान करेगा।

सुप्रा और आई.आर.पी.एच.ए. कार्यक्रम

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अपने 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान की तीव्रता (IRHPA) और वैज्ञानिक एवं उपयोगी गहन अनुसंधान और उन्नयन (SUPRA) कार्यक्रम के संदर्भ में बात की है।

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान की तीव्रता (IRHPA) के संदर्भ में जानकारी

• यह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एस.ई.आर.बी.) का एक कार्यक्रम है। यह उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रस्तावों का समर्थन करता है जहां बहु-विषयक/ बहु-संस्थागत विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो हमारे राष्ट्र को विशेष अनुशासन में एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मानचित्र में स्थापित करेगा।

• यह अनुसंधान के उन बहुत कम चुनिंदा क्षेत्रों में प्रमुख जागरूकता समर्थन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आधारभूत विज्ञान में उन्नयन के दृष्टिकोण से उच्च प्राथमिकता रखते हैं और यह देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

• आई.आर.पी.एच.ए. योजना के अंतर्गत, विज्ञान के प्रासंगिक क्षेत्रों में अत्यंत विशेषज्ञता वाली एक इकाई या प्रमुख समूह को विकसित और आगे पोषित किया जाएगा।
• भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के साथ विश्वविद्यालयों, उनके संबद्ध कॉलेजों, आई.आई.टी., आई.आई.एससी. और अन्य स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक इस योजना के अंतर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

वैज्ञानिक एवं उपयोगी गहन अनुसंधान और उन्नयन के संदर्भ में जानकारी

• यह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एस.ई.आर.बी.) का एक कार्यक्रम भी है।
• एस.ई.आर.बी.-सुप्रा, एक योजना है जो सामान्य प्रमुख अनुदानों से परे है और उद्देश्यपूर्ण रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रस्तावों के लिए डिज़ाइन की गई है, जिनमें नई परिकल्पनाएं शामिल होती हैं या मौजूदा परिकल्पनाओं को चुनौती देती हैं और 'आउट-ऑफ-द-बॉक्स' समाधान प्रदान करती हैं।
• नवीन और अप्रमाणित परिकल्पनाओं पर आधारित परिवर्तनकारी और विघटनकारी अनुसंधान अवधारणाएं, अनिश्चितता की एक उच्च कोटि रखती हैं, फिर भी अनुशासन सीमाओं में स्थायी प्रभाव पैदा करने का दृढ़ विश्वास होने से एस.ई.आर.बी.-सुप्रा के अंतर्गत समर्थन प्राप्त होता है।
• एस.ई.आर.बी.-सुप्रा के अंतर्गत प्रस्तुतियाँ केवल एस.ई.आर.बी. ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा के साथ प्रस्तावों के लिए कॉल के प्रस्ताव के खिलाफ की जा सकती हैं।

वित्तपोषण

• वित्तपोषण सामान्यत: तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के रूप में 2 वर्ष (5 वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (भारत) के संदर्भ में जानकारी

• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है।
• यह मई, 1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने और देश में वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और संवर्धन के लिए एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने हेतु स्थापित किया गया था।
• यह भारत में विभिन्न स्वीकृत वैज्ञानिक परियोजनाओं को धन देता है।
• यह विदेशों में सम्मेलनों में भाग लेने और प्रायोगिक कार्यों के लिए भारत के विभिन्न शोधकर्ताओं का भी समर्थन करता है।
• डी.एस.टी. भारत में सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न वैज्ञानिक ज्ञान के लिए खुली पहुंच का समर्थन करता है।
• दिसंबर, 2014 में भारत सरकार के डी.एस.टी. और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) ने संयुक्त रूप से अपनी ओपन एक्सेस पॉलिसी को अपनाया था।

गरूड़ पोर्टल

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डी.जी.सी.ए. ने कोविड-19 संबंधित ड्रोन के संचालन के लिए सरकारी एजेंसियों को फास्ट ट्रैक सशर्त छूट प्रदान करने के लिए गरूड़ पोर्टल लॉन्च किया है।

गरूड़ पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

• GARUD का पूरा नाम 'राहत प्रदान करने हेतु प्रयोग किए जाने वाले ड्रोन हेतु सरकारी प्राधिकरण' है।

• इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह कोविड-19 संबंधित ड्रोन के संचालन के लिए सरकारी एजेंसियों को फास्ट ट्रैक सशर्त छूट प्रदान करने के लिए लांच किया गया है।

वंदे भारत मिशन

खबरों में क्यों है?

• भारत सरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया है।

वंदे भारत मिशन के संदर्भ में जानकारी

• यह एक बहु-एजेंसी मिशन है, जिसमें अन्य देशों के साथ खाड़ी देशों, अमेरिका, यू.के. से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा।

नोट:

एक बार पूरा होने के बाद 1990 के बाद यह कुवैत से 1.7 लाख लोगों को एयरलिफ्ट कराने के बाद से सबसे बड़ा निकासी अभियान हो सकता है।

अन्य मिशन

✓ **ऑपरेशन समुद्र सेतु (सी ब्रिज)**

• यह भारतीय नौसेना का एक ऑपरेशन है, जो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए है।

• भारतीय नौसेना जहाजों (आई.एन.एस.), जलाशवा और मगर वर्तमान में चरण-1 के हिस्से के रूप में निकासी अभियान शुरू करने के लिए मालदीव के लिए मार्ग मे हैं।

स्रोत- ए.आई.आर.

'आयुष संजीवनी' ऐप

खबरों में क्यों है?

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने गोवा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'आयुष संजीवनी' ऐप लॉन्च किया है।

'आयुष संजीवनी' ऐप के संदर्भ में जानकारी

• इसे आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ईआईटीवाई.) द्वारा विकसित किया गया है।

• यह आयुष पक्षपोषण की स्वीकृति और उपयोग और जनसंख्या के बीच उपायों और कोविड-19 की रोकथाम पर इसके प्रभाव पर डेटा उत्पन्न करने में मदद करेगा।

• यह आयुष हस्तक्षेपों और समाधान को विकसित करने के लिए एम.ओएच.एफ.डब्ल्यू., आयुष मंत्रालय और सी.एस.आई.आर., आई.सी.एम.आर. और यू.जी.सी. जैसे प्रौद्योगिकी संगठनों के बीच संघ को एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

• यह वैश्विक समुदाय की बड़ी भलाई के लिए आयुष ज्ञान को बढ़ावा देने में भी मदद करता है।

आरोग्य सेतु आई.वी.आर.एस. सेवाएं

खबरों में क्यों हैं?

- हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम' (आई.वी.आर.एस.) लॉन्च किया है।

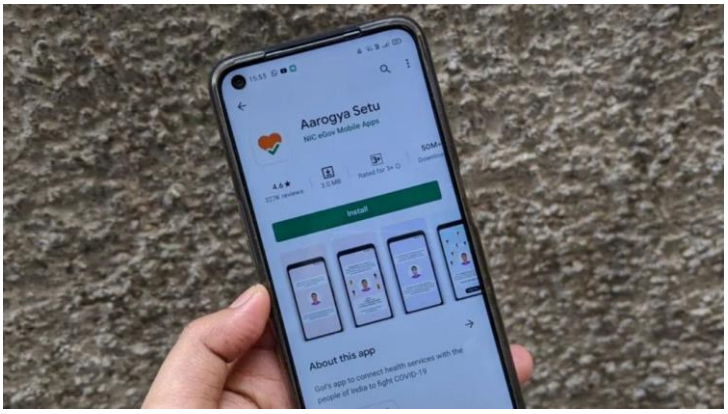

आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम के संदर्भ में जानकारी

- यह उन नागरिकों को शामिल करने के लिए लागू किया गया है, जिनके पास फीचर फोन और लैंडलाइन कनेक्शन हैं।
- यह एक टोल-फ्री सेवा है, जो देश भर में उपलब्ध है, जिसमें नागरिक '1921' पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और उनसे अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी के लिए अनुरोध करने पर पुन: कॉल की जाएगी।
- पूंछे जाने वाले प्रश्न अरोग्य सेतु ऐप के साथ संरेखित किए गए हैं और दी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर है, नागरिकों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के लिए एस.एम.एस. भी प्राप्त होगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए आगे भी अलर्ट प्राप्त होते रहेंगे।
- मोबाइल एप्लिकेशन के समान टोल-फ्री सेवा, 11 क्षेत्रीय भाषाओं में लागू की गई है।

आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के संदर्भ में जानकारी

- यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
- यह लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में सक्षम बनाता है।
- यह अत्याधुनिक ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिथ्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए दूसरों के साथ उनके परस्पर संपर्क के आधार पर इसकी गणना करेगा।
- यह एक उपयोगकर्ता को सूचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यदि वह किसी पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के आस-पास या संपर्क में हैं।

पी.एम.आर.एफ. योजना में संशोधन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, मानव संसाधन विभाग (एच.आर.डी.) के केंद्रीय मंत्री ने देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलो (पी.एम.आर.एफ.) योजना के अंतर्गत विभिन्न संशोधनों की घोषणा की है।

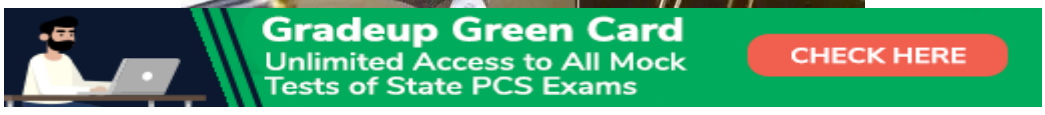

वे संशोधन क्या हैं?

मंत्री ने बताया कि अब प्रवेश के लिए दो चैनल होंगे, एक प्रत्यक्ष प्रवेश और पार्श्वीय प्रवेश होगा।

a. प्रत्यक्ष प्रवेश चैनल के माध्यम से आवेदन

पिछले तीन वर्षों में, उम्मीदवार के पास निम्न में से कुछ होना चाहिए:

- भारत में मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/ विश्वविद्यालय से 8.0 या इससे अधिक सी.जी.पी.ए. के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शाखा में स्नातक या परास्नातक डिग्री के अंतिम वर्ष में होना चाहिए या पूरी होना चाहिए और प्रासंगिक विषय में 650 या उससे अधिक का गेट स्कोर होना चाहिए।
- गेट पास होना चाहिए और कम से कम चार पाठ्यक्रमों के साथ पहले सेमेस्टर के अंत में कम से कम 8 या उससे अधिक के सी.जी.पी.ए. के साथ पी.एम.आर.एफ. अनुदानित संस्थानों में से किसी एक में अनुसंधान द्वारा एम.टेक/ एम.एस. कर रहा हो या पूरा हो गया हो।
- पी.एम.आर.एफ. अनुदानित संस्थान, जिसने छात्र को नियमित चयन प्रक्रिया (साक्षात्कार) के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रम में दाखिला दिया है, उसकी योग्यता को देखते हुए पी.एम.आर.एफ. के पुरस्कार के लिए एक मजबूत सिफारिश करता है।

b. पार्श्वीय प्रवेश चैनल के माध्यम से आवेदन

इस चैनल के माध्यम से पी.एम.आर.एफ के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार को निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

- उम्मीदवार पी.एम.आर.एफ. अनुदानित संस्थाओं में से किसी एक में पीएच.डी. कर रहा होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, यदि वह परास्नातक डिग्री के साथ कार्यक्रम में शामिल हुआ है तो उसके पी.एच.डी. में अधिकतम 12 महीने पूरे होने चाहिए और यदि वह स्नातक डिग्री के साथ कार्यक्रम में शामिल हुआ है तो उसके पीएच.डी. में 24 महीने पूर होने चाहिए।
- उसने पीएच.डी. में कम से कम चार पाठ्यक्रम 8.5 या उससे अधिक के सी.जी.पी.ए./ सी.पी.आई. के साथ पूरे किए होने चाहिए।
- पी.एम.आर.एफ. अनुदान संस्थान, जिसमें छात्र नामांकित है, उम्मीदवार के लिए एक मजबूत सिफारिश करते हैं और पी.एम.आर.एफ. वेब-पोर्टल पर प्रासंगिक जानकारी अपलोड करते हैं, कार्यक्रम के प्रारंभिक 12-24 महीनों के दौरान प्रदर्शित की गई उसकी योग्यता के अनुसार (प्रासंगिक के रूप में),
- जिन मेट्रिक (लेकिन प्रतिबंधित नहीं हैं) पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा उनमें एक मजबूत शोध प्रस्ताव, प्रकाशन रिकॉर्ड और ग्रेड शामिल हैं।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप (पी.एम.आर.एफ.) योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसकी बजट 2018-19 में घोषणा की गई थी।
- इसे देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए तैयार किया गया है।
- यह शोध में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने का प्रयास करता है, जिससे नवाचार के माध्यम से विकास के दृष्टिकोण का अनुभव करता है।

नोट:

- पी.एम.आर.एफ. अनुदान संस्थान आई.आई.एस.सी. बेंगलुरू, सभी आई.आई.एस.ई.आर., सभी आई.आई.टी., जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली हैं।

भारत में रासायनिक आपदाओं के खिलाफ उपलब्ध सुरक्षा उपाय

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बाहरी इलाके में स्थित एल.जी. पॉलिमर फैक्ट्री से गैस रिसाव के कारण कम से कम 11 लोगों की जान चली गई है।

• भारत में ऐसी रासायनिक आपदाओं के पीड़ितों की रक्षा करने के उद्देश्य से कानून इस प्रकार हैं:

A. भोपाल गैस रिसाव (दावों का प्रसंस्करण) अधिनियम, 1985

• यह केंद्र सरकार को भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित दावों को सुरक्षित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

• इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, इस तरह के दावों को तेज और समान रूप से निपटाया जाता है।

B. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

• यह केंद्र सरकार को पर्यावरण में सुधार करने के लिए उपाय करने और मानकों को निर्धारित करने और औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है।

C. सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991

• यह अधिनियम, एक बीमा है, जो खतरनाक पदार्थों के रखरखाव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए है।

D. राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997

• इस अधिनियम के अंतर्गत, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण उन क्षेत्रों के प्रतिबंध के संदर्भ में अपील सुन सकता है जिसमें कोई उद्योग, संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों, संचालन या प्रक्रिया के वर्ग संचालित नहीं किए जाएंगे या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन संचालित किए जाएंगे।

E. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, 2010

• यह पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) विज्ञप्ति

खबरों में क्यों है?

हाल ही में, भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 2018 के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर अपनी नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) विज्ञप्ति जारी की है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) विज्ञप्ति के संदर्भ में जानकारी

• इसे 1964-65 में कुछ राज्यों में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा परीक्षण आधार पर शुरू किया गया था।

• यह 1969-70 के दौरान पूरी तरह से चालू हो गया था।

• यह निम्नलिखित के राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने हेतु एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है:

a) शिशु मृत्यु दर

b) जन्म दर

c) मृत्यु दर

d) अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतक

शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) विज्ञप्ति के प्रमुख निष्कर्ष

• वर्ष 2018 में राष्ट्रीय आई.एम.आर. जनसंख्या के प्रति एक हजार पर 32 था।

• अखिल भारतीय स्तर पर आई.एम.आर. पिछले एक दशक में 50 से घटकर 32 हो गया है।

• मिजोरम ने 2019-20 के वित्तीय वर्ष में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, जो नागालैंड के बाद देश में दूसरे स्थान पर है।

• मध्य प्रदेश में 48 और नागालैंड में 4 का आई.एम.आर. है।

जन्म दर

• जन्म दर, जनसंख्या की प्रजनन क्षमता की एक कच्ची माप और जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।

• प्रति एक हजार की आबादी पर दरों की गणना की जाती है।

• वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर प्रति एक हजार जनसंख्या पर 20 थी।

• बिहार में सबसे अधिक जन्म दर 26.2 है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप 11.2 की जन्म दर के साथ सबसे नीचे स्थित है।

• अखिल भारतीय स्तर पर, शहरी क्षेत्रों (16.7) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (21.6) में जन्म दर अधिक है।

मृत्यु दर

• वर्ष 2018 में राष्ट्रीय मृत्यु दर प्रति एक हजार जनसंख्या पर 6.2 थी।

• भारत की मृत्यु दर में पिछले चार दशकों में 1971 में 14.9 से 2018 में 6.2 की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है।

• ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरावट तीव्र ढलान वाली है।

• ग्रामीण क्षेत्रों में संगत गिरावट 7.8 से 6.7 और शहरी क्षेत्रों में 5.8 से 5.1 है।

• छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे अधिक 8 है, जब कि दिल्ली में 3.3 की मृत्यु दर है, जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का संकेत है।

प्रवासी कल्याण

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, कार्यकर्ता अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 को कड़ाई से लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि अंतर-राज्य प्रवासियों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके, जो देशव्यापी लॉकडाउन के कारण पीड़ित हैं।

अंतर-राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 के संदर्भ में जानकारी

• यह अधिनियम अंतर-राज्य प्रवासियों के रोजगार और उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने का प्रयास करता है।

• यह प्रत्येक उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जो दूसरे राज्यों के पांच या अधिक प्रवासी कामगारों को रोजगार प्रदान करता है या यदि इसने पिछले 12 महीनों में किसी भी पांच या अधिक दिन ऐसे कामगार नियोजित किए हों।

• यह उन ठेकेदारों पर भी लागू होता है, जिन्होंने समान संख्या में अंतर-राज्य के कामगारों को नियोजित किया था।

• अधिनियम इस बात की परवाह किए बिना लागू होगा कि क्या प्रतिष्ठान में या ठेकेदार द्वारा काम करने वाले कामगारों के अतिरिक्त पांच या अधिक कामगार नियोजित किए गए थे।

• यह ऐसे प्रतिष्ठानों के पंजीकरण की प्रणाली की परिकल्पना करता है।

• प्रमुख नियोक्ता को संबंधित प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अंतर-राज्यकर्मियों को नियोजित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

• यह कानून भी निहित है कि प्रत्येक ठेकेदार, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में तैनाती के लिए कामगारों की भर्ती करता है, उसे ऐसा करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की स्थिति संहिता, 2019 के संदर्भ में जानकारी

• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की स्थिति संहिता, 2019 नामक विधेयक को संसद में पेश किया गया है।

• प्रस्तावित संहिता, 13 श्रम कानूनों को एक ही कानून में विलय करने का प्रयास करती है।

• अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 उनमें से एक है।

• कार्यकर्ताओं को डर है कि प्रवासी श्रमिकों को दिए गए विशिष्ट सुरक्षा उपाय इस समेकन के परिणामस्वरूप समाप्त हो सकते हैं।

मिशन सागर

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, भारत ने वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी के बीच हिंद महासागर में पाँच द्वीप देशों के लिए सरकार की आउटरीच पहल के एक भाग के रूप में मिशन सागर का शुभारंभ किया है।

• ये पाँच द्वीप मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस हैं।

मिशन सागर के संदर्भ में जानकारी

• इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थ, कोविड-19 से संबंधित दवाएं प्रदान करना है, जिसमें एच.सी.क्यू. टैबलेट और विशिष्ट आयुर्वेदिक दवाएं शामिल हैं, जिनमें चिकित्सा सहायता टीमें भी शामिल हैं।

• भारतीय नौसेना पोत (आई.एन.एस.) केसरी को इस मिशन के अंतर्गत तैनात किया गया है।

शामिल एजेंसी

• यह ऑपरेशन रक्षा और विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में प्रगति पर है।

महत्व

• यह तैनाती मार्च, 2015 में प्रवर्तित 'सागर' क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के प्रधानमंत्रियों के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
• सागर ने भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित किया है और मौजूदा बंधन को और अधिक मजबूत किया है।

एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने चैम्पियंस पोर्टल लॉन्च किया है।

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्रीय एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल (Champions.gov.in) लॉन्च किया है।

चैंपियंस पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

• चैंपियन (CHAMPIONS) का पूरा नाम उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाने हेतु आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग है।
• यह एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष-सह-प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
• यह प्रणाली आधुनिक आई.सी.टी. उपकरणों का उपयोग करती है, जिनका लक्ष्य राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतियोगिताओं के रूप में बड़ी लीग में भारतीय एम.एस.एम.ई. की सहायता करना है।
• यह पोर्टल मूल रूप से छोटी इकाइयों की शिकायतों को सुलझाकर, प्रोत्साहित करके, समर्थन करके, मदद करके और उन्हें हल करके बड़ा बनाने के लिए है।
• यह एम.एस.एम.ई. मंत्रालय का वास्तविक वन-स्टॉप-शॉप समाधान है।

बीआई.पी.ए.पी. गैर-आक्रामक वेंटीलेटर

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.) ने कोविड-19 के गैर-गंभीर, गैर-आई.सी.यू. मामलों के उपयोग के लिए एक गैर-आक्रामक श्वसन समर्थन डिवाइस बीआई.पी.ए.पी. के अपने संस्करण को विकसित किया है।

बीआई.पी.ए.पी. गैर-आक्रामक वेंटीलेटर के संदर्भ में जानकारी

• इन वेंटिलेटरों को स्वस्थ वायु के रूप में भी नामित किया गया है।

विशेषताएं:

• यह एक सूक्ष्मनियंत्रक-आधारित सटीक बंद-लूप अनुकूल नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें बिल्ट-इन जैवअनुकूल "3 डी प्रिंटेड मैनिफोल्ड एंड कपलर" है, जिसमें एच.ई.पी.ए. फिल्टर (अत्यधिक कुशल कणिका वायु फिल्टर) है।
• ये अनोखी विशेषताएं वायरस के फैलने की आशंका को कम करने में मदद करती हैं।

• इसमें ऑक्सीजन सांद्रता या संवर्धन इकाई को बाहरी रूप से जोड़ने के प्रावधान के साथ अकस्मात, सी.पी.ए.पी., समयबद्ध स्वचालित बीआई.पी.ए.पी. मोड जैसी विशेषताएं हैं।
• इस मशीन का प्रमुख लाभ यह है कि इसे बिना किसी विशेष नर्सिंग के आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, लागत प्रभावी, कॉम्पैक्ट और अधिकांश स्वदेशी घटकों के साथ कॉन्फ़िगर की गई है।
• यह वर्तमान भारतीय कोविड-19 परिदृश्य में वार्ड, अस्थायी अस्पतालों, डिस्पेंसरी और घर में कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु आदर्श है।

'सुरक्षा स्टोर पहल'

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने तकनीकी स्टार्टअप्स सेफजॉब के साथ साझेदारी की है और सुरक्षा स्टोर पहल को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की मांग की है।

सुरक्षा स्टोर पहल के संदर्भ में जानकारी

• कंपनियों की संयुक्त रिलीज के अनुसार, इसे लॉकडाउन के दौरान और बाद में नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है।

उद्देश्य

• इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में किराना स्टोर मालिकों को अपने व्यवसायों का संचालन करने के दौरान पालन किए जाने वाले आवश्यक कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के संदर्भ में शिक्षित करना है।
• ये प्रोटोकॉल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) और गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) द्वारा निर्धारित किए गए थे।

सुरक्षा स्टोर के संदर्भ में जानकारी

• यह एक स्टोर (किराना, फार्मेसी, उपभोक्ता टचप्वॉइंट) है, जो 100% सुरक्षा मानदंडों का पालन करता है।
• ये स्टोर सभी सामान्य न्यूनतम स्वास्थ्य मानकों के साथ-साथ सुरक्षा जाँच-सूची का पालन करने के लिए शिक्षित, प्रमाणित और मान्य होंगे।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

• यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
• एफ.एस.एस.ए.आई. को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक समेकित क़ानून है।
• यह खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने हेतु जिम्मेदार है।
• एफ.एस.एस.ए.आई. का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
• प्राधिकरण के दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में छह क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।

कोविड-जाग्रथा पोर्टल

खबरों में क्यों है?

हाल ही में, केरल सरकार ने 'कोविड-जाग्रथा पोर्टल' पर डिजिटल पास के लिए आवेदन करने हेतु विशेष ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है।

कोविड-जाग्रथा पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- यह निगरानी के अंतर्गत लोगों के क्वारंटाइन और स्वास्थ्य की स्थिति की प्रभावी दैनिक निगरानी हेतु एक व्यापक समाधान है।
- इसमें प्रणाली में उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर टेलीकंसल्टेशन और रेफरल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा का भी प्रावधान है।
- यह जनता के लिए कोविड-19 से संबंधित सूचना के प्रसार और जनता के लिए आपातकालीन सेवाओं तक पहुँचने के प्रावधानों हेतु बनाया गया है।
- इसका उपयोग जनता के लिए जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी उपायों पर एक सरलीकृत दैनिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जा सकता है, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान बुजुर्ग लोगों का समर्थन, प्रवासी मजदूरों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसा समर्थन प्रदान किया गया है।

भारत राज्य स्तर बीमारी बोझ पहल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत राज्य-स्तरीय बीमारी बोझ पहल के अंतर्गत, भारत में पांच वर्ष से कम आयु के अंतर्गत मृत्यु दर से संबंधित डेटा जारी किया गया है।

डेटा के मुख्य बिंदु

- भारत में पांच वर्ष से कम आयु के अंतर्गत मृत्यु दर वर्ष 2000 से 49% कम हो गई है। राज्यों के बीच पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर में छह गुना और विभिन्न जिलों के बीच पांच वर्ष से कम आयु की मृत्युदर में 11 गुना की भिन्नता है।
- वर्ष 2000 के बाद से नवजात मृत्यु दर (एन.एम.आर.) में 38% की कमी आई है, लेकिन राज्यों के बीच दर में पांच गुना की भिन्नता है और भारत के जिलों के बीच दरों में आठ गुना की भिन्नता है।
- भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की लगभग 68 प्रतिशत मौतें, बच्चे और माता के कुपोषण के कारण होती हैं।

• भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता जन्म के समय कम वजन और कम गर्भावधि (46%) और बाल विकास विफलता (21%) हैं।
• पांच वर्ष से कम आयु की लगभग 11% मृत्यु, असुरक्षित जल और स्वच्छता के कारण और 9% वायु प्रदूषण के कारण और 83% नवजात मृत्यु, जन्म के समय कम वजन और कम गर्भावधि के कारण होती हैं।
• भारत में पांच वर्ष से कम आयु की मौतों के प्रमुख कारण निचला श्वसन संक्रमण (17.9%), अपरिपक्व जन्म (15.6%), डायरिया संबंधी रोग (9.9%) और जन्म के समय बेहोशी और आघात (8.1%) हैं।

भारत राज्य-स्तरीय बीमारी बोझ पहल के संदर्भ में जानकारी

• यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.), भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (पी.एच.एफ.आई.), स्वास्थ्य मेट्रिक्स एवं मूल्यांकन संस्थान (आई.एच.एम.ई.) और वरिष्ठ विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच एक सहयोग है।
• यह देश के प्रत्येक राज्य में सबसे अधिक अपरिपक्व मौतों और अस्वस्थता के कारण होने वाले रोगों के अभूतपूर्व व्यापक मूल्यांकन की रिपोर्ट करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था।

जल जीवन मिशन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिसंबर, 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन देने की योजना बनाई है।

जल जीवन मिशन के संदर्भ में जानकारी

- यह सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक हर घर में पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जाने की परिकल्पना है।

• जल जीवन मिशन विभिन्न जल संरक्षण प्रयासों पर आधारित है, जैसे बिंदु पुनर्भरण, लघु सिंचाई टैंकों को पुन: भरना, कृषि और स्रोत स्थिरता के लिए भूजल का उपयोग करना है।
• 'जल जीवन मिशन' (जे.जे.एम.) का उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर में सुधार करने हेतु सस्ते सेवा वितरण शुल्क पर नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता में पर्याप्त मात्रा में पेयजल हेतु कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
• इस मिशन के अंतर्गत, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य तत्वों के लिए स्रोत स्थिरता उपायों के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

वित्तपोषण प्रारूप

• केंद्र और राज्यों के बीच हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्त साझाकरण प्रारूप 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है।

जे.जे.एम. के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

A. केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन

B. राज्य स्तर पर, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.)

C. जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) तथा

D. ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समितियां अर्थात ग्राम जल स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.)/ पानी समिति

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

खबरों में क्यों है?

• विशाखापत्तनम में एक कारखाने में गैस रिसाव के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) ने हाल ही में लॉकडाउन के बाद उद्योगों को पुन: शुरू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

• यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च संवैधानिक निकाय है।

• एन.डी.एम.ए. को औपचारिक रूप से 27 सितंबर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार गठित किया गया था।

संरचना

• प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, जो 9 सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता करता है।

प्राथमिक कार्य

• इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आपदा लचीलता और संकट प्रतिक्रिया में क्षमता निर्माण करना है।

• यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए भी शीर्ष निकाय है जिससे कि आपदाओं के लिए समयबद्ध और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

दृष्टिकोण

• एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी-संचालित और सतत विकास रणनीति द्वारा एक सुरक्षित और आपदा लचीला भारत का निर्माण करना है, जिसमें सभी हितधारक शामिल होंगे और रोकथाम, तत्परता और शमन की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

आदिवासी युवा प्रतिभाओं को खोजने हेतु 'गोल' कार्यक्रम

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, आदिवासी मंत्री ने नई दिल्ली में एक वेबिनार में फेसबुक के साथ साझेदारी में अपने मंत्रालय के एक कार्यक्रम- "गोल (GOAL)- गोइंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स लॉन्च किया है।

गोल कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

• यह एक डिजिटल रूप से सक्षम कार्यक्रम है, जिसके द्वारा जनजातीय युवाओं की छिपी प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है।

उद्देश्य

• इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के युवाओं को अपने गुरूओं के साथ अपनी आकांक्षाओं, सपनों और प्रतिभाओं को साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने में सक्षम बनाना है।

• डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सदस्यता प्रदान करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है।

यह कैसे काम करेगा?

• इस कार्यक्रम में, 5000 अनुसूचित जनजाति के युवाओं (जिन्हें 'मेंटीस' कहा जाता है) को विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर मिलेगा (जिन्हें 'शिक्षक' कहा जाता है)।

• दो मेंटींस के लिए एक शिक्षक होगा।

• चयनित मेंटीस नौ महीने या 36 सप्ताह तक कार्यक्रम में संलग्न रहेंगे, जिसमें 28 सप्ताह की सदस्यता होगी और इसके बाद आठ सप्ताह की इंटर्नशिप होगी।

• यह कार्यक्रम तीन मुख्य क्षेत्रों- डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल और नेतृत्व और उद्यमशीलता और कृषि, कला एवं संस्कृति, हस्तशिल्प एवं वस्त्र, स्वास्थ्य, पोषण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा।

राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के आवागमन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की है।

राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

• यह पोर्टल, प्रवासी श्रमिकों पर एक केंद्रीय कोष पर आधारित है, जो अपने मूल स्थानों की ओर उनकी वापसी को आसान बनाता है।

• एन.एम.एआई.एस., मौजूदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के जी.आई.एस. पोर्टल पर आधारित है।

एन.एम.आई.एस. की विशेषताएं

• एन.एम.आई.एस. का उद्देश्य प्रवासियों की आवाजाही के बारे में जानकारी हासिल करना है और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों को सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करना है।

• प्रवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित प्रमुख डेटा जैसे कि नाम, आयु, मोबाइल नंबर, मूल और गंतव्य जिले, यात्रा की तारीख आदि को अपलोड करने के लिए मानकीकृत किया गया है, जिसे राज्य पहले से ही एकत्र कर रहे हैं।

• राज्य यह अनुमान लगाने में सक्षम होंगे कि कितने लोग कहां से जा रहे हैं और कितने लोग अपने गंतव्य राज्यों में पहुँच रहे हैं।

• कोविड-19 के दौरान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आवाजाही निगरानी के लिए लोगों के मोबाइल नंबरों का उपयोग किया जा सकता है।

• प्रत्येक प्रवासी के लिए एक विशिष्ट आई.डी. बनाई जाती है, जिसका उपयोग सभी हस्तांतरणों के लिए किया जा सकता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की है।

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की है।

ये पहल हैं:

a) "एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म" और "एक कक्षा, एक चैनल"

• यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री देश के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद छात्रों तक पहुंच रही है। यह पहल शिक्षा में पहुंच और समानता को बढ़ावा देगी और आने वाले समय में सकल नामांकन अनुपात में सुधार करेगी।

• पहल के अंतर्गत, दिव्यांग बच्चों पर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है और ये उपाय नए भारत के निर्माण में एक नए उदाहरण की शुरूआत करेंगे।

b) पी.एम. ई-विद्या

• यह एक व्यापक पहल है, जो डिजिटल/ ऑनलाइन/ ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करती है, जो शिक्षा के लिए बहु-मोड तक पहुंच को सक्षम बनाएगी और इसमें शामिल हैं:

✓ **दीक्षा (एक राष्ट्र-एक डिजिटल प्लेटफॉर्म)**

• अब यह सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने वाला देश का डिजिटल आधारभूत ढांचा बन जाएगा।

✓ **टी.वी. (एक कक्षा-एक चैनल),** जहां कक्षा 1 से 12 तक, प्रत्येक के लिए प्रति ग्रेड एक समर्पित चैनल गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगा।

✓ स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए एम.ओ.ओ.सी.एस. प्रारूप में **SWAYAM (स्वयं)** ऑनलाइन पाठ्यक्रम

✓ आई.आई.टी जे.ई.ई./ नीट की तैयारी के लिए **आई.आई.टी.पी.ए.एल.**

✓ विभिन्न रूप से सक्षम छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री **डिजिटली सुलभ सूचना प्रणाली (डी.ए.आई.एस.वाई.) पर विकसित है और एन.आई.ओ.एस. वेबसाइट/ यू.ट्यूब** पर साइन लैंग्वेज में विकसित है।

c) मनोदर्पण पहल

• इसे एक वेबसाइट, एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, परामर्शदाताओं की राष्ट्रीय निर्देशिका, इंटरैक्टिव चैट प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से इस प्रकार का समर्थन प्रदान करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है।

• यह पहल देश के सभी स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता, शिक्षकों और स्कूली शिक्षा में हितधारकों के समुदाय को लाभान्वित करेगी।

d) राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मिशन

• इसे यह सुनिश्चित करने के लिए लांच किया गया है कि देश में प्रत्येक बच्चा वर्ष 2020 तक ग्रेड 3 में अनिवार्य रूप से साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले।

• यह मिशन 3 से 11 वर्ष के आयुवर्ग के लगभग 4 करोड़ बच्चों की शिक्षण आवश्यक्ताओं को पूरा करेगा।

स्रोत- पी.आई.बी.

शेकतकर समिति

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, सरकार ने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे से संबंधित लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकतकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की समिति (सी.ओ.ई.) की तीन महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकारा और कार्यान्वित किया है। स्वीकृत की गई सिफारिशें निम्न हैं:

a. सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) की इष्टतम क्षमता से अधिक सड़क निर्माण कार्य को आउटसोर्स करना
b. 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध (ई.पी.सी.) मोड को अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है।
c. घरेलू और विदेशी खरीद के लिए आधुनिक निर्माण संयंत्रों, उपकरणों और मशीनरी की शुरूआत से संबंधित अन्य सिफारिश को बी.आर.ओ. को 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ तक की संवर्धित खरीद शक्तियां सौंपकर लागू किया गया है।
d. हाल ही में, सीमा सड़कों ने सड़कों के तेज निर्माण के लिए हॉट-मिक्स प्लांट 20/30 टी.पी.एच. को शामिल किया है, सख्त चट्टानों को काटने के लिए रिमोट से संचालित हाइड्रोलिक रॉक ड्रिल डी.सी.-400 आर. और तेजी से बर्फ काटने के लिए स्व-चालित स्नो-कटर/ ब्लोअर की एफ-90 श्रृंखला शुरू की है।

जम्मू और कश्मीर ने अधिवास प्रमाणपत्र के लिए नियमों को परिभाषित किया है।

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अधिवास प्रमाणपत्र प्रक्रिया नियम 2020 के जम्मू-कश्मीर अनुदान को अधिसूचित किया है और 15 दिनों के निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रस्ताव में एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया निर्धारित की है।

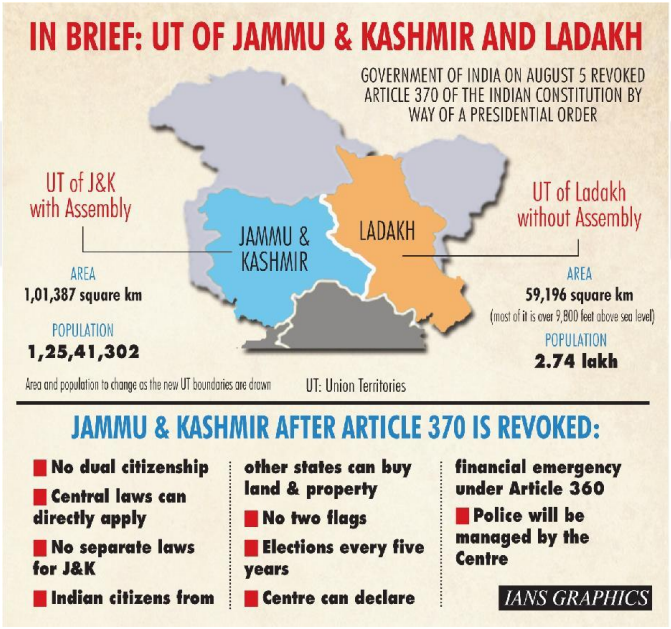

पृष्ठभूमि

• केंद्र ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश 2020 जारी किया था।

इस आदेश के अंतर्गत, अधिवास को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है:

✓ कोई भी व्यक्ति "जो जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित राज्य में 15 वर्षों से निवास करता हो या

✓ जिसने सात वर्ष यहां तक अध्ययन किया हो और यह जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित किसी शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वीं/ 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुआ है।"

संशोधन की मुख्य विशेषताएं

• संशोधित नियमों के अंतर्गत, पात्र गैर स्थानीय लोग भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• ये नियम अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक सरल समय-सीमाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करते हैं, इस प्रकार से कि किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

• प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 दिनों की समयावधि है।

पात्रता

• सभी स्थायी निवासी प्रमाणपत्र धारक और जम्मू-कश्मीर के बाहर रहने वाले उनके बच्चे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• जम्मू-कश्मीर में रहने वाले या बाहर रहने वाले कश्मीरी प्रवासी केवल अपने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (पी.आर.सी.), राशन कार्ड की प्रतिलिपि, वोटर कार्ड या किसी अन्य वैध दस्तावेज का प्रस्तुत करके ही अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

• उन प्रवासियों को भी एक विशेष खिड़की प्रदान गई है, जो राहत एवं पुनर्वास विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है।

• वास्तविक प्रवासी 1988 की मतदाता सूची, देश के किसी भी राज्य में प्रवासी के रूप में पंजीकरण का साक्ष्य या कोई अन्य वैध दस्तावेज जैसे दस्तावेज प्रदान करके राहत एवं पुनर्वास विभाग के साथ आवेदन कर सकते हैं।

• नई प्रक्रिया से पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, सफ़ाई कर्मचारियों और उन महिलाओं के बच्चों को अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने गैर-स्थानीय लोगों से यहां नौकरी करने के लिए शादी की थी।

• नए अधिवास कानूनों के अनुसार, केंद्र सरकार के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सांविधिक निकाय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, जिन्होंने कुल दस वर्षों की कुल अवधि के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सेवा प्रदान की है, वे प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं।

• जो बच्चे किसी भी जम्मू और कश्मीर विद्यालय से कक्षा 10 या कक्षा 12 के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर सकते हैं, वे भी इन प्रमाणपत्रों के लिए पात्र होंगे।

• एक व्यक्ति जिसने सात वर्ष तक अध्ययन किया है और जम्मू और कश्मीर में स्थित किसी शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वी/ 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, वह भी प्रमाणपत्र के लिए पात्र होगा।

राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास ऐप

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम 'राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास' है।

राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास ऐप के संदर्भ में जानकारी

• इसे राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, जो एन.टी.ए. के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उम्मीदवारों को जे.ई.ई. मेन, नीट जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट देने में सक्षम बनाता है।

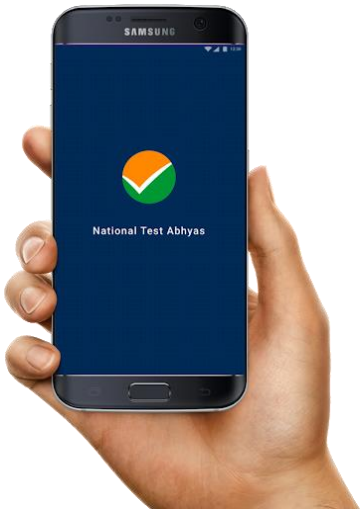

• निरंतर लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थानों और एन.टी.ए. के टेस्ट-अभ्यास केंद्रों (टी.पी.सी.) के बंद रहने के कारण छात्रों के हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग के बाद से यह उम्मीदवारों को उनके घरों की सुरक्षा और आरामदायक वातावरण में उच्च-गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट तक पहुँच की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा।
• यह ऐप उपकरणों के पहुँच के स्तर और नेटवर्क की गुणवत्ता के निरपेक्ष भारत में सभी छात्रों के लिए स्मार्टफ़ोन या कंप्यूटर पर प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध कराएगा।
• ऐप में एक ऑफ़लाइन मोड भी है, जहां छात्र मॉक टेस्ट डाउनलोड करके इंटरनेट के बिना टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं।

राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी के संदर्भ में जानकारी

• यह उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन है।
• यह भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी होगी।

संरचना

• इसकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् द्वारा की जाएगी।
• इसके सी.ई.ओ. सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक (डी.जी.) होंगे।
• इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी हैं, जिसमें उपयोगकर्ता संस्थानों के सदस्य शामिल हैं।

नेपाल-भारत सीमा विवाद

खबरों में क्यों है?

• नेपाल मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि वह एक नया, अद्यतन राजनीतिक मानचित्र जारी करेगा, जिसमें नेपाली क्षेत्र के हिस्से के रूप में लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा के विवादित क्षेत्र शामिल होंगे।

मुद्दा क्या था?

• हाल ही में, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लिपुलेख से गुजरने वाली चीन की सीमा के लिए एक सड़क का उद्घाटन करने के बाद से काठमांडू ने सीमा मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। सड़क उद्घाटन के बाद, नेपाल सरकार ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सुगौली संधि, 1816 के अनुसार, महाकाली नदी का पूर्वी क्षेत्र नेपाल के अंतर्गत आता है।

• लेकिन भारत सरकार ने कहा कि उसने अपने क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया था।

सुगौली की संधि के संदर्भ में जानकारी

• सगौली की संधि, (4 मार्च, 1816), नेपाल के गोरखा प्रमुखों और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच एक समझौता है, जिसने आंग्ल-नेपाली (गोरखा) युद्ध (1814-16) को समाप्त किया था।

• संधि के द्वारा, नेपाल ने विवादित तराई या तराई देश के लिए सभी दावों को त्याग दिया था और काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र और सतलज नदी तक फैले अपने विजय क्षेत्र को सौंप दिया था।

• नेपाल स्वतंत्र रहा है, लेकिन उसे एक भारतीय राज्य में सर्वोच्च सरकार के नियंत्रण एजेंट के बजाय एक स्वतंत्र देश में एक राजदूत की स्थिति के साथ एक ब्रिटिश निवासी प्राप्त हुआ है।

कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री (आई/ सी) ने वर्ष 2019-2020 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की है। सरकार ने आयोजन में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के लिए संशोधित प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया है।

• संशोधित प्रोटोकॉल 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ नगर ऐप और क्षेत्रवार रेटिंग जैसे आई.सी.टी. हस्तक्षेपों के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) मूल्य श्रृंखला की निगरानी, वार्ड-वार भू-मानचित्रण पर विचार करेगा।

सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं

• सर्वेक्षण के अनुसार, कुल 6 शहरों को 5 स्टार, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग दी गई है।

• ये 5-स्टार कचरा मुक्त शहर सूरत, राजकोट, इंदौर, मैसूर, अंबिकापुर और नवी मुंबई हैं।

• महाराष्ट्र के कुल 34 शहरों में चंद्रपुर, धुले, जलगाँव, जालना, ठाणे और मीरा-भयंदर को 3-स्टार रेटिंग दी गई है।

• अहमदनगर, अकोला, नासिक, वसाई-विरार और कल्याण-दोम्बिविली सहित कुल 41 शहरों को 1 स्टार रेटिंग दी गई है।

स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में जानकारी

• स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जनवरी, 2018 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।

• इसमें, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने एक अनूठी पहल- 7-स्टार रेटिंग प्रणाली की शुरूआत की थी।

• 7-स्टार रेटिंग प्रणाली का उद्देश्य शहरों के लिए कचरा मुक्त दर्जा प्राप्त करने और स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु एक तंत्र को संस्थागत बनाना है।

• स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में, देश के शहरी स्थानों का मूल्यांकन अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में कई स्वच्छता संकेतकों के आधार पर किया जाता है

a. डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण
b. अपशिष्ट पृथक्करण
c. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
d. नालियों की सफाई
e. जल निकाय और अन्य

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 प्रकाशित हुई है। जिसमें भारत एक बड़े कुपोषण संकट का सामना कर रहा है, इसमें अंतरों और चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

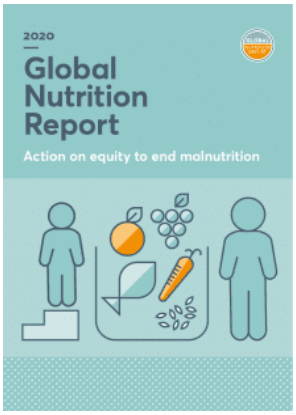

रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी

• रिपोर्ट में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख पोषण संकेतक निम्न हैं:

a. वृद्धि का रूकना या आयु के अनुरूप कम लंबाई होना, दीर्घकालिक अपर्याप्त पोषक तत्वों के सेवन और बार-बार संक्रमण के कारण होता है।
b. वास्टिंग या लंबाई के अनुरूप कम वजन होना, यह पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर का एक मजबूत पूर्वानुमान है, जो सामान्यत: तीव्र महत्वपूर्ण भोजन की कमी और बीमारी का परिणाम है।
c. अधिक वजन: यह स्वस्थ शरीर में वसा की तुलना में शरीर में अधिक वसा होने की स्थिति है।
d. • भारत को कुपोषण में घरेलू असमानताओं की उच्चतम दर वाले देशों में से एक के रूप में भी पहचाना गया है।

• वर्ष 2012 में, विश्व स्वास्थ्य सभा ने वर्ष 2025 तक प्राप्त किए जाने वाले माता, शिशु और युवा बाल पोषण के लिए छह पोषण लक्ष्यों की पहचान की है।

भारत और रिपोर्ट

• वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत उन सभी चार पोषण संकेतकों के लिए लक्ष्यों को याद करेगा, जिनके लिए डेटा उपलब्ध है।

ये संकेतक हैं:

a. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धि का रूकना
b. प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया
c. बचपन में अधिक वजन
d. केवल स्तनपान

कम वजन के बच्चे

• वर्ष 2000 से 2016 के बीच, लड़कों के लिए कम वजन की दर 66.0% से 58.1% और लड़कियों के लिए 54.2% से 50.1% तक हो गई है।

• हालांकि, यह अभी भी एशिया में लड़कों के लिए 35.6% और लड़कियों के लिए 31.8% के औसत की तुलना में अधिक है।

• इसके अतिरिक्त, एशिया के क्रमश: 22.7 प्रतिशत और 9.4% की तुलना में पांच वर्ष से कम आयु के 37.9% बच्चों में वृद्धि का रूकना, 20.8% बच्चों में वास्टिंग की समस्या है।

रक्ताल्पता स्थिति

• प्रजनन आयु की दो महिलाओं में से एक में रक्ताल्पता है, जब कि समान समय में, अधिक वजन और मोटापे की दर लगातार बढ़ रही है, जिससे लगभग प्रत्येक पांचवां वयस्क प्रभावित है, महिलाओं में यह दर 21.6% और पुरूषों में 17.8% है।

• वृद्धि रूकने के संदर्भ में देश के भीतर विषमताओं के लिए नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ भारत को तीन सबसे खराब देशों में से एक माना जाता है, जहां समुदायों में इसका स्तर चार गुना भिन्न है।

वृद्धि में रूकावट का स्तर

• उत्तर प्रदेश में वृद्धि में रूकावट का स्तर 40% से अधिक है और न्यूनतम आय वाले समूह में व्यक्तियों के बीच की दर, उच्चतम आय समूह में व्यक्तियों की दर से दोगुना अधिक क्रमश: 22.0% और 50.7% है।

• इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि में रूकावट का प्रसार 10.1% अधिक है।

• यह अधिक वजन और मोटापे पर भी लागू होता है, जहां मोटे पुरूषों की तुलना में लगभग दोगुनी मोटी वयस्क महिलाएं (2.7% की तुलना में 5.1%) हैं।

नोट: सतत विकास लक्ष्य (एस.डी. लक्ष्य 2: शून्य भुखमरी)

• इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी प्रकार की भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लोग, विशेष रूप से बच्चे, पूरे वर्ष में पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकें।

• इसमें स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है, जिसमें छोटे पैमाने पर किसानों का समर्थन करना और भूमि, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक समान पहुंचाने की अनुमति देना शामिल है।

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की वार्षिक रैंकिंग जारी की है।

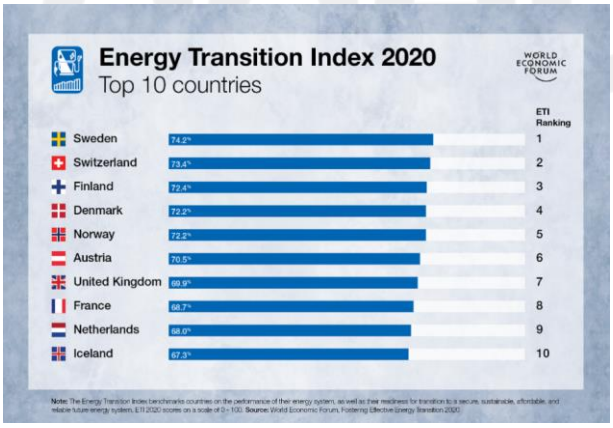

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

• यह एक तथ्य-आधारित रैंकिंग है, जो नीति निर्माताओं और व्यवसायों को एक सफल ऊर्जा संक्रमण के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में सक्षम बनाती है।

• सूचकांक आर्थिक विकास और प्रगति, पर्यावरण स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा और पहुंच संकेतकों में और सुरक्षित, स्थायी, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में संक्रमण के लिए अपनी तत्परता में अपनी ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर 115 अर्थव्यवस्थाओं को चिह्नित करता है।

समग्र प्रगति

• वर्तमान अध्ययन 115 अर्थव्यवस्थाओं में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए तत्परता को मापता है, जिससे पता चलता है कि वर्ष 2015 के बाद से 94 ने प्रगति की है, लेकिन पर्यावरणीय स्थिरता में अंतर लगातार जारी है।

• यह प्रगति बहुपक्षीय, वृद्धिशील दृष्टिकोणों का एक परिणाम है, जिसमें कार्बन का मूल्य निर्धारण, अनुसूची से दूर कोयला संयंत्रों को सेवानिवृत्त करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए बिजली बाजारों को नया स्वरूप देना शामिल है।

• उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक समग्र प्रगति देखी गई है, वर्ष 2015 के बाद से शीर्ष 10 प्रतिशत शेष नियतांकों में देशों के लिए औसत ई.टी.आई. स्कोर के साथ औसत समग्र प्रगति देखी गई है।

सूचकांक की मुख्य विशेषताएं

• स्वीडन ने लगातार तीसरे वर्ष ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है और उसके बाद शीर्ष तीन में स्विट्जरलैंड और फिनलैंड हैं।

• जी20 देशों में केवल फ्रांस (आठवें स्थान पर) और यू.के. (सातवें स्थान पर) शीर्ष दस में हैं।

• अर्जेंटीना, चीन, भारत और इटली वर्ष 2015 से लगातार वार्षिक सुधार के साथ प्रमुख देशों में से एक हैं।

• हालांकि, वर्ष 2015 से कनाडा, चिली, लेबनान, मलेशिया, नाइजीरिया और तुर्की के स्कोर में गिरावट आई है।

भारत की स्थिति

• भारत 'वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक', 2020 में दो स्थान ऊपर खिसककर 74वें स्थान पर पहुंच गया है।

• भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार किया है।

• यह दुनिया के कुछ उन देशों में से एक है, जिन्होंने वर्ष 2015 के बाद से लगातार साल-दर-साल प्रगति की है।

जिन कारकों के कारण सुधार हो रहा है, वे हैं:

a. राजनीतिक प्रतिबद्धताएं, उपभोक्ता संलग्नता और निवेश, नवाचार और बुनियादी ढांचे में सुधार
b. भारत सरकार की पहलें जैसे- सरकारी रूप से अनिवार्य नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम है, जिसे अब वर्ष 2027 तक 275 गीगावॉट तक बढ़ा दिया गया है।
c. भारत ने एल.ई.डी. उपकरणों की लेबलिंग के लिए बल्ब, स्मार्ट मीटर की थोक खरीद और कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
d. इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करने के लिए उपायों का भी परीक्षण किया जा रहा है।
e. **विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में जानकारी**

• यह 1971 में स्थापित किया गया एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन है, जो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट

a. वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट
b. वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
c. वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट
d. वैश्विक आई.टी. रिपोर्ट
e. वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट

73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आभासी रूप से आयोजित की जाएगी।

• विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख निर्णय निर्माण संस्था है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है।

विश्व स्वास्थ्य सभा के संदर्भ में जानकारी

- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत विश्व की सर्वोच्च स्वास्थ्य नीति निर्धारण निकाय है।
- यह सदस्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मिलकर बनी है।
- इसमें सभी डब्ल्यू.एच.ओ. सदस्य राज्यों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल है और यह कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर केंद्रित है।

कार्य

- संगठन की नीतियों को निर्धारित करने हेतु
- महानिदेशक की नियुक्ति
- वित्तीय नीतियों की निगरानी करना
- प्रस्तावित कार्यक्रम के बजट की समीक्षा और अनुमोदन

स्वास्थ्य सभा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

योजनाओं, विचारों, नवाचारों और अनुसंधान का बैंक पोर्टल

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने एम.एस.एम.ई. पर योजनाओं, विचारों, नवाचारों और अनुसंधान का बैंक पोर्टल (http://ideas.msme.gov.in/) लॉन्च किया है।

पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

• यह पोर्टल (http://ideas.msme.gov.in/) संघ, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की सभी योजनाओं तक पहुँच प्रदान करता है।

• इसमें क्षेत्र में विचारों, नवाचारों और अनुसंधानों को अपलोड करने का प्रावधान है।

• पोर्टल में न केवल विचारों की क्राउडसोर्सिंग की अनूठी विशेषताएं हैं, बल्कि क्राउडसोर्सिंग द्वारा विचारों का मूल्यांकन और रेटिंग भी उपलब्ध है।

• पोर्टल को उपयोगकर्ताओं के अधिक अनुकूल बनाने के लिए विचार (संकल्पना, प्रोटोटाइप या वाणिज्यिक) के चरण को इंगित करने की सुविधा है।

• विचार से संबंधित दस्तावेज और फोटो और वीडियो और सोशल मीडिया लिंक भी अपलोड किए जा सकते हैं।

स्रोत- पी.आई.बी.

ओपन बजट सर्वेक्षण 2019

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, जारी किए गए ओपेन बजट सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच 53वें स्थान पर रखा गया है।

सर्वेक्षण के संदर्भ में जानकारी:

• सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी (आई.बी.पी.) द्वारा आयोजित किया जाता है।

• यह कई प्रामाणिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय संकेतकों के आधार पर 0-100 के पैमाने पर देशों में बजट पारदर्शिता के स्तर को मापता है।

• यह प्रत्येक देश के लिए केंद्र या संघ सरकार के आठ प्रमुख बजट दस्तावेजों की उपलब्धता का मूल्यांकन करता है।

• सर्वेक्षण मूल्यांकन करता है कि क्या ये बजट दस्तावेज समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक किए जाते हैं और क्या व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं।

हालिया सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएं

वैश्विक परिदृश्य:

• न्यूजीलैंड ने 87 के स्कोर के साथ चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

• चीन के अपवाद के साथ कुछ अन्य बड़े विकासशील देशों को भारत की तुलना में बहुत अधिक पारदर्शिता स्कोर मिला है।

• दक्षिण अफ्रीका (87), मैक्सिको (82) और ब्राजील (81) शीर्ष छह देशों में से हैं जो जांच के लिए जनता को व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं।

भारत और सर्वेक्षण

• सर्वेक्षण ने भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया को 100 में से 49 का पारदर्शिता स्कोर प्रदान किया है, जो कि वैश्विक औसत 45 से अधिक है।

भविष्य के सुधार हेतु भारत को सुझाव:

• जन भागीदारी को बढ़ाना

• अपने बजट में प्राथमिकता निर्धारण के लिए सार्वजनिक भागीदारी हेतु पर्याप्त स्थान प्रदान करने की आवश्यकता है।

• राजकोषीय नीति और बजटीय प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों पर संभाषण में अधिक स्पष्टता लाने के लिए संघ और राज्य बजटों की सार्वजनिक समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

ओपन बजट सर्वेक्षण के संदर्भ में जानकारी

• यह अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी की ओपेन बजट पहल का हिस्सा है।

• इसका मुख्यालय- संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन, डी.सी. में स्थित है।

• ओपेन बजट पहल, बजट की जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देने और एक जवाबदेह बजट प्रणाली को अपनाने के लिए एक वैश्विक अनुसंधान और वकालत कार्यक्रम है।

• बजट एवं शासन जवाबदेही केंद्र (सी.बी.जी.ए.) ने केंद्र सरकार द्वारा प्रयासों के लिए बजट पारदर्शिता का मूल्यांकन विकसित करने की दिशा में अनुसंधान इनपुटों का योगदान दिया है।

बजट एवं शासन जवाबदेही केंद्र के संदर्भ में जानकारी

• यह नागरिक समाज के नेताओं और शिक्षाविदों के एक समूह द्वारा परिकल्पित एक प्रबुद्ध मंडल है।

• इसे वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वकालत अध्ययन केंद्र (एन.सी.ए.एस.) के एक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था।

• यह वर्ष 2005 में भारत में बजट की तैयारी और कार्यान्वयन में पारदर्शी, जवाबदेह और भागीदारीपूर्ण शासन और व्यक्ति केंद्रित परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के शासनादेश के साथ एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।

कंसोल बांड

खबरों में क्यों है?

• अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के साथ कंसोल बॉन्ड जारी करना, सरकार के लिए एक अधिक सम्मोहक समाधान है।

कंसोल बॉन्ड के संदर्भ में जानकारी

• इसे स्थायी बांड के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ परिपक्वता तिथि के बिना एक बांड है।

• जारीकर्ता के पास एक विशिष्ट अवधि के बाद बांड को वापस खरीदने का विकल्प होता है।

• कॉल करने का विकल्प, सामान्यत: जारी करने की तारीख के पांच वर्ष बाद होता है।

• भारत में, स्थायी बॉन्ड को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाता है, जिसमें एक निवेशक लेनदेन पर बॉन्ड बेच सकता है। ये बॉन्ड सामान्यत: बड़ी विनिर्माण कंपनियों द्वारा या बैंकों द्वारा अपनी दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए जारी किए जाते हैं।

• ये बांड तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट जोखिम उठाते हैं।

पृष्ठभूमि

• वर्ष 2014 में, प्रथम विश्व युद्ध की शुरूआत के एक शताब्दी बाद ब्रिटिश सरकार ने कुल बकाया कंसोल बांड ऋण का 10% भुगतान किया था।

• वे बॉन्ड, जो 5% के ब्याज का भुगतान करते थे, वे 1917 में जारी किए गए थे क्यों कि सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध की चल रही लागत के वित्तपोषण हेतु अधिक धन जुटाने की मांग की थी।

• नागरिकों को इस विज्ञापन संदेश के साथ निवेश करने के लिए कहा गया था कि "यदि आप नहीं लड़ सकते हैं, तो आप सभी 5 प्रतिशत राजकोषीय खातों में निवेश करके अपने देश की मदद कर सकते हैं।"

• सैनिक के विपरीत, निवेशक कोई जोखिम नहीं उठाता है।

स्रोत- द हिंदू एडिटोरियल + ई.टी.

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता पहल

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने एक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से "वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रभाव" पर एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- रिपोर्ट में सी.ओ.पी.-21 में भारत की प्रतिज्ञा पर प्रकाश डाला गया है, जो 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने की थी।
- अब ऊर्जा दक्षता पहलों के साथ हमारी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता 2005 के स्तर की तुलना में पहले से 20% कम हो गई है, जो कि वास्तविकता में बहुत अच्छा प्रदर्शन है।
- अध्ययन ने निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों की पहचान की है:
    a. प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना
    b. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम
    c. उजाला कार्यक्रम, नगरपालिका मांग हिस्सा प्रबंधन कार्यक्रम इत्यादि

स्टार रेटिंग कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- हाल ही में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.) ने अपने स्टार रेटिंग कार्यक्रम के अंतर्गत डीप फ्रीजर और हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर (एल.सी.ए.सी.) को स्वेच्छा से शामिल किया है।
- इस कार्यक्रम को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इसके शासनादेश के रूप में तैयार किया गया है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बी.ई.ई. ने अब तक 24 उपकरणों को शामिल किया है, जिसमें दस उपकरण अनिवार्य शासनादेश के अधीन हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करता है।
- यह नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है जिससे कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसे सौंपे गए कार्यों को करने में मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे की पहचान और उपयोग किया जा सके।

तोमान मुद्रा

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, ईरानी संसद ने राष्ट्रीय मुद्रा (पुन: मूल्यवर्ग) रियाल को मुद्रा की अन्य बुनियादी इकाई तोमान के साथ बदलने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव पारित किया है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

• यह सरकार को रियाल से चार शून्य हटाने करने की अनुमति देता है और ईरानी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमान (पुन: मूल्यवर्ग) नामक मुद्रा की अन्य मूल इकाई के साथ बदलने की अनुमति देता है।

• एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा।

• रियाल दो वर्ष तक तोमान के साथ एक कानूनी निविदा बना रहेगा, जिसके दौरान पुराने सिक्कों और विधेयकों को नए के साथ बदलने हेतु धीरे-धीरे एकत्र किया जाएगा।

इस कदम के पीछे का कारण

• ईरान का कदम अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने से है।

• यह अन्य मुद्राओं के मुकाबले रियाल के घटते मूल्य को दूर करने में मदद करता है।

• यह वित्तीय लेनदेन में बड़े अंकों के उपयोग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है।

अटल पेंशन योजना

• हाल ही में, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना, 'अटल पेंशन योजना' (ए.पी.वाई.) ने सफल कार्यान्वयन के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं।

अटल पेंशन योजना के संदर्भ में जानकारी

• इसे पहले स्वावलंबन योजना के रूप में जाना जाता है, जो भारत में एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों पर लक्षित है।

• वर्ष 2015 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इसका उल्लेख किया गया था।

लाभ

• इसमें ग्राहकों के लिए 1000 रुपये से लेकर 5000 रूपए तक की निश्चित पेंशन हैं, यदि वह जुड़ता है और 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच योगदान देता है।

• योगदान का स्तर भिन्न हो सकता है और यदि ग्राहक जल्दी शामिल होता है तो योगदान कम हो सकता है और यदि ग्राहक देर से शामिल होता है तो योगदान अधिक हो सकता है।

• ग्राहक की मृत्यु के बाद पति/ पत्नी को समान पेंशन देय है।

• जीवनसाथी की मृत्यु के बाद नामांकितों को सांकेतिक पेंशन की धन की वापसी की जाएगी।

• अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) में योगदान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के समान कर लाभ हेतु पात्र हैं।

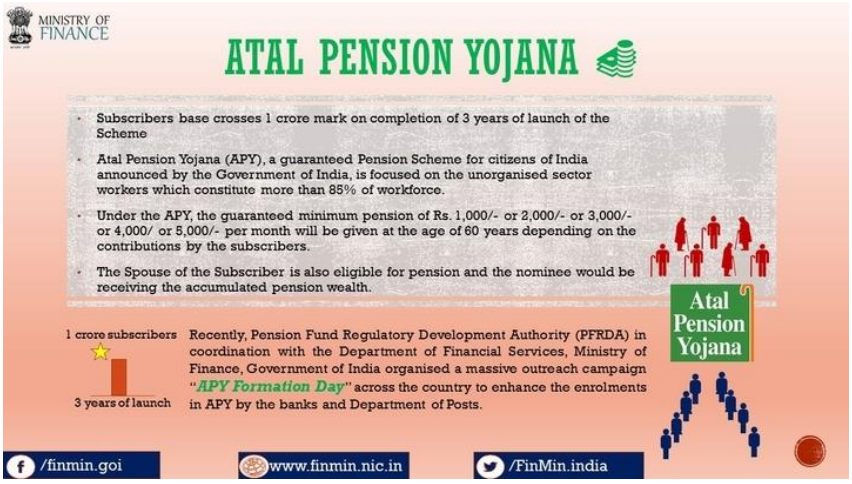

पात्रता

• अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.), उन सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है, जो किसी भी संवैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं।

• कोई भी व्यक्ति जो ए.पी.वाई. के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के योग्य है, उसको आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण के अंतर्गत नामांकन से गुजरना होगा।

जुड़ने की उम्र और योगदान की अवधि

• ए.पी.वाई. में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

खबरों में क्यों है?

• कोरोनावायरस के प्रकोप और राष्ट्रीय लॉकडाउन के बीच, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जी.डी.पी. के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये का एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज लॉन्च किया है और इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा गया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहली किश्त है, जिसमें वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शामिल है, जिसका उद्देश्य वैश्विक महामारी के दौरान सबसे गरीब और कमजोर समुदायों का समर्थन करना है।

• इसमें तरलता में सुधार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए हैं।

• अगले कुछ दिनों में और अधिक किश्तों की उम्मीद है।

आर्थिक पैकेज का विवरण:

i. वेतनभोगी श्रमिकों और करदाताओं के लिए:

• वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न के लिए विस्तारित समय सीमा के रूप में कुछ राहत प्रदान की गई थी, जिसकी नियत तारीख अब 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

• टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टी.डी.एस.) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टी.सी.एस.) की दरों में अगले वर्ष के लिए 25% की कटौती की गई है।

• जब कि नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के लिए अगले तीन महीनों के लिए संवैधानिक भविष्य निधि (पी.एफ.) भुगतान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

ii. एन.बी.एफ.सी. पर ध्यान दिया गया हैं:

• इस पैकेज की 3 लाख करोड़ की राशि व्यवसायों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण योजनाओं हेतु आवंटित की गई है।

• आपातकालीन ऋण सीमा यह सुनिश्चित करेगी कि व्यावसायिक गतिविधि फिर से शुरू करने और नौकरियों की सुरक्षा के लिए 45 लाख इकाइयों की कार्यशील पूंजी तक पहुंच होगी।
• 10,000 करोड़ रूपए की पूंजी के साथ निधियों के एम.एस.एम.ई. कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी समावेशन भी योजनाबद्ध है।
• उच्च निवेश सीमा की स्वीकृति और टर्नओवर-आधारित मानदंडों की शुरूआत के लिए एम.एस.एम.ई. की परिभाषा का विस्तार किया गया है। ये हैं:
A. सूक्ष्म उद्योग: निवेश 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है।
B. लघु उद्योग: निवेश 1-10 करोड़ के बीच और टर्नओवर 5-50 करोड़ के बीच है।
C. मध्यम उद्योग: निवेश 10-20 करोड़ के बीच और टर्नओवर 50-100 करोड़ के बीच है।

iii. व्यापार और संगठित कार्यकर्ता के लिए कर्मचारी भविष्य निधि समर्थन

• पी.एम.जी.के.पी. के एक भाग के रूप में शुरू की गई योजना है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ई.पी.एफ. में से प्रत्येक के वेतन का 12% योगदान देती है, इसको जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के वेतन महीनों के लिए 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा।

iv. कर-संबंधी उपाय

• 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में कमी की गई है।
• निवासियों को सभी गैर-वेतनभोगी भुगतानों के लिए टी.डी.एस. दर और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' दर वित्त वर्ष 20-21 की शेष अवधि के लिए निर्दिष्ट दरों के 25 प्रतिशत से कम हो जाएगी।

आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तीसरी किश्त

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचा रसद, क्षमता निर्माण, कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए सुधारों को मजबूत करने के लिए आत्म निर्भर भारत के अंतर्गत तीसरे आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।

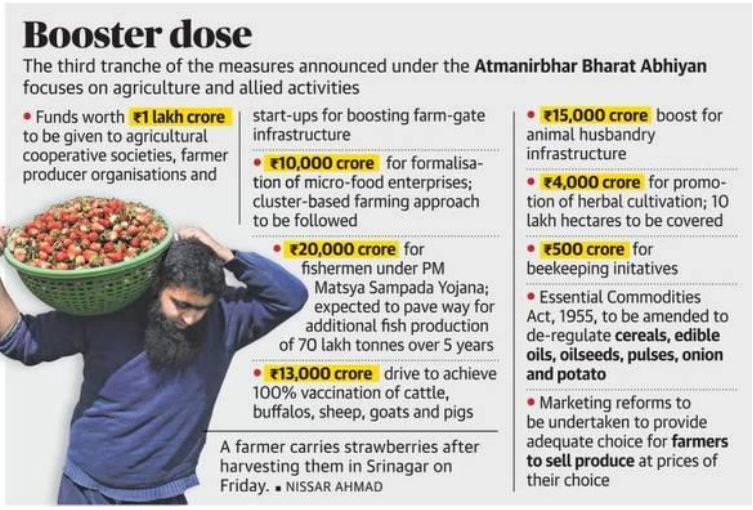

तीसरे आर्थिक पैकेज की मुख्य विशेषताएं

A. सूक्ष्म खाद्य उद्यम

• यह योजना सरकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है: 2 लाख एम.एफ.ई. की मदद करने के लिए "वैश्विक आउटरीच के साथ स्थानीय के लिए मुखर' लॉन्च किया जाएगा, जिन्हें एफ.एस.एस.ए.आई. खाद्य मानकों को

प्राप्त करने, ब्रांड का निर्माण करने और ऑपरेशन ग्रीन का विपणन करने हेतु तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता होती है।

• यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.,एफ.पी.आई.) द्वारा संचालित किया जाता है, जो पहले केवल टमाटर, प्याज और आलू के लिए था, अब इसे सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा।

B. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

• यह कोष डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्थापित किया जाएगा।

C. मधुमक्खी पालन पहल

• सरकार अन्य के साथ एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्र, पोस्ट-हार्वेस्ट और मूल्य संवर्धन सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक योजना लागू करेगी।

D. आवश्यक वस्तु अधिनियम

• सरकार अनाज, दाल, प्याज और आलू को नियंत्रण मुक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी।

• राष्ट्रीय आपदाओं, कीमतों में वृद्धि के साथ अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में स्टॉक सीमाएं लागू की जाएंगी।

E. अनुबंध खेती

• सरकार, 1872 के अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध खेती पर एक कानून लाने पर विचार करेगी जिससे कि किसानों को प्रसंस्करण, एग्रीगेटर, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ सीधे और पारदर्शी तरीके से जुड़ने में सक्षम बनाया जा सकें।

कर्मचारी भविष्य निधि

खबरों में क्यों है?

• केंद्र सरकार ने मई से जुलाई, 2020 तक की मजदूरी माह अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की संवैधानिक दर 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की है।

• यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के प्रतिष्ठानों के लिए लागू होगा।

फायदेमंद

• मूल वेतन और महंगाई भत्ते के ई.पी.एफ. अंशदान की दर 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने से 4.3 करोड़ कर्मचारियों और 6.5 लाख प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को लाभ प्रदान करने का इरादा रखता है, इससे कुछ हद तक तत्काल तरलता संकट से पार पाने में मदद मिलेगी।

छूट प्राप्त

• अंशदान की दर में यह कमी, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या किसी अन्य प्रतिष्ठान के स्वामित्व या नियंत्रण में या केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में लागू नहीं होती है।
• दर में की गई कमी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना-पी.एम.जी.के.वाई. लाभार्थियों के लिए लागू नहीं है क्यों कि सभी वेतन और नियोक्ताओं का कर्मचारियों का ई.पी.एफ. में 12 प्रतिशत योगदान है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के संदर्भ में जानकारी

• यह एक सरकारी संगठन है, जो सदस्य कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है और कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को लागू करता है।
• कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि संस्थान प्रदान करता है।
• यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

मंत्रिमंडल ने इनके तरलता तनाव को दूर करने के लिए एन.बी.एफ.सी./एच.एफ.सी. के लिए विशेष तरलता योजना को मंजूरी प्रदान की है।

खबरों में क्यों है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) और हाउसिंग वित्तीय कंपनियों (एच.एफ.सी.) के लिए एक नई विशेष तरलता योजना शुरू करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जिससे कि एन.बी.एफ.सी./ एच.एफ.सी. की तरलता स्थिति में सुधार किया जा सके।

योजना का विवरण:

• सरकार ने एक विशेष तरलता योजना के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) और हाउसिंग वित्तीय कंपनियों (एच.एफ.सी.) की तरलता की कमी को दूर करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तावित की है।
• एक तनावपूर्ण पसिंपत्ति कोष (एस.ए.एफ.) के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया जाएगा, जिसकी विशेष प्रतिभूतियों की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी और केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा खरीदी जाएगी।
• ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री की आय का उपयोग एस.पी.वी. द्वारा एन.बी.एफ.सी./ एच.एफ.सी. के अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।
• इस योजना को वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जो विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।

प्रभाव:

• प्रस्तावित योजना, एस.पी.वी. और एन.बी.एफ.सी. के बीच अपने मौजूदा परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को तरलता प्रदान किए बिना एक वन स्टॉप व्यवस्था होगी।

• यह योजना एन.बी.एफ.सी. के लिए निवेश ग्रेड या जारी किए गए बॉन्ड के लिए बेहतर रेटिंग प्राप्त करने हेतु एक संबल के रूप में भी कार्य करेगी।
• इस योजना के संचालन में और गैर-बैंक क्षेत्र से धन के प्रवाह को बढ़ाने में आसान होने की संभावना है।

लाभ:

• यह सुविधा सरकार और आर.बी.आई. द्वारा अब तक उठाए गए तरलता उपायों की पूरक होगी।
• इस योजना से एन.बी.एफ.सी./ एच.एफ.सी./ एम.एफ.आई. के ऋण संसाधनों में वृद्धि करके वास्तविक अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

पृष्ठभूमि:

• वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई है कि आंशिक ऋण गारंटी योजना (पी.सी.जी.एस.) के माध्यम से प्रदान की गई तरलता सुविधा के बावजूद एन.बी.एफ.सी./ एच.एफ.सी. को अतिरिक्त तरलता सुविधा प्रदान करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाएगा।
• कोविड-19 की उभरती स्थिति के कारण वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए उपर्युक्त बजट घोषणा को लागू करने की अति-आवश्यक्ता है।

कॉयर जियोटेक्सटाइल्स को ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की गई है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.-III) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कॉयर जियोटेक्सटाइल्स का उपयोग किया जाएगा।

कॉयर जियोटेक्स्टाइल के संदर्भ में जानकारी

• यह एक पारगम्य कपड़ा, प्राकृतिक, मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ है, जो कि दुर्गंध, सड़ने और नमी के लिए प्रतिरोधी है और किसी भी माइक्रोबियल हमले से मुक्त है।
• सड़क निर्माण के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. नई प्रौद्योगिकी दिशानिर्देशों के अनुसार, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रस्तावों के प्रत्येक बैच में 15% लंबाई का निर्माण किया जाना है।
• इसमें से 5% सड़कों का निर्माण आई.आर.सी. मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाना है।
• भारतीय सड़क सम्मेलन (आई.आर.सी.) ने अब ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कॉयर जियोटेक्सटाइल्स को मान्यता प्रदान की है।
• इन निर्देशों के अनुसार, पी.एम.जी.एस.वाई.-III के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों की 5% लंबाई का निर्माण कॉयर जियोटेक्सटाइल्स का उपयोग करके किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना III के संदर्भ में जानकारी

• इस योजना की घोषणा वित्तमंत्री द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में की गई थी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना III (पी.एम.जी.एस.वाई.-III) की विशेषताएं:

• पी.एम.जी.एस.वाई.-III योजना के अंतर्गत, राज्यों में 1, 25, 000 किलोमीटर सड़क की लंबाई को समेकित करने का प्रस्ताव है।

• इसमें ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम्स), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से आवासों को जोड़ने वाले मार्गों और प्रमुख ग्रामीण लिंक के माध्यम से समेकन शामिल है।

• 8 उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के लिए यह धनराशि केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है, छोड़े गए राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I

• इसे दिसंबर, 2000 में लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य

• क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नामित जनसंख्या आकार (2001 की जनगणना के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, उत्तर-पूर्व क्षेत्रों, पहाड़ी, आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250+) के योग्य अनकनेक्टेड आवास को एकल सभी मौसम सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना।

वामपंथी अतिवाद क्षेत्र हेतु सड़क कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में जानकारी (RCPLWEA)

• सरकार ने पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत एक भिन्न ऊर्ध्वाधर के रूप में वर्ष 2016 में वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र हेतु सड़क कनेक्टिविटी परियोजना शुरू की थी।

• यह 44 जिलों (35 सबसे खराब एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिले हैं और 09 समीपस्थ जिले हैं) में आवश्यक पुलियों और क्रॉस-निकासी संरचनाओं के साथ सभी मौसम की सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करती है, जो सुरक्षा और संचार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

• इस योजना के अंतर्गत, 5,066 किलोमीटर सड़क की लंबाई को मंजूरी प्रदान की गई है।

भारतीय सड़क सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

• भारतीय सड़क सम्मेलन (आई.आर.सी.), देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है।

• इसे दिसंबर, 1934 में भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था, जिसे सरकार द्वारा भारत में सड़क विकास के उद्देश्य से स्थापित जयकर समिति के रूप में जाना जाता है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

खबरों में क्यों है?

• मंत्रिमंडल ने "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" को मंजूरी प्रदान की है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के संदर्भ में जानकारी

• इस योजना की घोषणा सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2019-20 में की थी।

• यह भारत में मत्स्य क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना है।

कार्यान्वयन रणनीति

• पी.एम.एम.एस.वाई. दो अलग घटकों के साथ एक छातरी योजना के रूप में लागू किया जाएगा:

a. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सी.एस.)
b. केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.)

• केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) घटक के अंतर्गत, 18330 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप इसे निम्नलिखित तीन व्यापक प्रमुखों के अंतर्गत गैर-लाभार्थी उन्मुख और लाभार्थी उन्मुख सह-घटकों/ गतिविधियों में पृथक किया गया है:

a. उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
b. ढांचा और पोस्ट-फसल प्रबंधन
c. मत्स्य प्रबंधन और विनियामक ढांचा

• यह सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू की जाएगी।

केंद्रीय क्षेत्र योजना (सी.एस.):

a. संपूर्ण परियोजना/ इकाई लागत केंद्र सरकार (अर्थात 100% केंद्रीय वित्त पोषण) द्वारा वहन की जाएगी।
b. जहाँ भी प्रत्यक्ष लाभार्थी उन्मुख अर्थात व्यक्तिगत/ समूह गतिविधियाँ केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा की जाती हैं, जिनमें राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) शामिल हैं
c. सामान्य श्रेणी के लिए इकाई/ परियोजना लागत की 40% और एस.सी./ एस.टी./ महिला वर्ग के लिए 60% तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस):

संपूर्ण परियोजना/ इकाई लागत का केंद्र और राज्य के बीच साझाकरण नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

• उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में: 90% केंद्रीय हिस्सा और 10% राज्य का हिस्सा है।
• अन्य राज्य: 60% केंद्रीय हिस्सा और 40% राज्य का हिस्सा है।
• केंद्रशासित प्रदेश (विधानसभा के साथ और विधानसभा के बिना): 100% केंद्रीय हिस्सा है।

पी.एम.एम.एस.वाई. के लक्ष्य और उद्देश्य

• हम एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन क्षमता का दोहन करना
• भूमि और पानी के विस्तार, गहनता, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना
• मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण- कटाई के बाद का प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करना
• मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना और रोजगार सृजन करना

• कृषि जी.वी.ए. और निर्यात में योगदान बढ़ाना
• मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना
• मजबूत मत्स्य प्रबंधन और विनियामक ढांचा

नोट:

• राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 2018-19 के दौरान मत्स्य पालन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) 2,12,915 करोड़ रूपये (वर्तमान बुनियादी मूल्य) था, जो कुल राष्ट्रीय जी.वी.ए. का 1.24% और कृषि जी.वी.ए. का 7.28% हिस्सा था।
• इस क्षेत्र में वर्ष 2022 तक मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करने की अपार संभावना है, जैसा कि सरकार द्वारा कल्पना की गई है और आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर है।

मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री वया वंदना योजना' के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है।

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 31 मार्च, 2020 से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए 31 मार्च, 2023 तक प्रधानमंत्री वया वंदना योजना (पी.एम.वी.वी.वाई.) के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है।

मंत्रिमंडल के फैसलों की मुख्य बातें

• इसने शुरू में वर्ष 2020-21 के लिए 7.40% प्रतिवर्ष रिटर्न दर सुनिश्चित की है और इसके बाद प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की है।
• वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एस.सी.एस.एस.) की संशोधित रिटर्न दर के अनुरूप, वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से प्रभावी सुनिश्चित वार्षिक ब्याज दर का वार्षिक निर्धारण 7.75% की सीमा तक किसी भी बिंदु पर देहली सीमा के उल्लंघन पर योजना के नए मूल्यांकन के साथ होगा।
• हम प्रबंधन व्यय को जारी की गई नई नीतियों के सापेक्ष पहले वर्ष की योजना की निधि के 0.5% प्रतिवर्ष पर कैप कर रहे हैं और उसके बाद अगले 9 वर्षों के लिए 0.3% प्रति वर्ष दूसरे वर्ष के लिए होगा।
• इसने वित्त मंत्री को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक पुनर्निधारित दर को स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया है।
• योजना के अंतर्गत, 12000 रूपए प्रति वर्ष की पेंशन के लिए न्यूनतम निवेश को संशोधित करके 1, 56,658 कर दिया गया है और 1000 रूपए प्रति माह की पेंशन हेतु निवेश को 1, 62,162 रूपए कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के संदर्भ में जानकारी

• यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य खरीद मूल्य/ सदस्यता राशि पर एक सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर उन्हें एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है।

स्रोत- ए.आई.आर.

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की शुरुआत के माध्यम से 3 लाख करोड़ रूपए के अतिरिक्त वित्तपोषण को स्वीकृति प्रदान की है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के संदर्भ में जानकारी

• इसे कोविड-19 और इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन की वजह से अभूतपूर्व स्थिति के लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में तैयार किया गया है, जिसने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में विनिर्माण और अन्य गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

• योजना की मुख्य विशेषताओं में 29.02.2020 तक 25 करोड़ रूपये तक के बकाया ऋण के साथ सभी एम.एस.एम.ई. उधारकर्ता खाते शामिल हैं और योजना के अंतर्गत जी.ई.सी.एल. वित्त पोषण के लिए 100 करोड़ रूपए तक के वार्षिक कारोबार पात्र होंगे।

• यह योजना, योजना की घोषणा की तारीख से 31.10.2020 तक की अवधि के दौरान जी.ई.सी.एल. के अंतर्गत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी या जी.ई.सी.एल. के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रूपए तक की राशि स्वीकृत की गई है, जो भी पहले हो।

स्रोत- पी.आई.बी.

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण की योजना

खबरों में क्यों है?

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय आधार पर असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है।

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण के लिए योजना के संदर्भ में जानकारी

• यह अखिल भारतीय आधार पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।

• योजना का व्यय 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा।

योजना के उद्देश्य हैं:

a. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा वित्त की पहुंच में वृद्धि करना
b. लक्षित उद्यमों के राजस्व में वृद्धि करना
c. खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को बढ़ाना
d. असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन

e. महिला उद्यमियों और आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करन
f. समर्थन प्रणालियों की क्षमता को मजबूत करना
g. जनजातीय जिलों में लघु वनोपजों पर ध्यान केंद्रित करना

• यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी।
• राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार, योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग और एजेंसी को सूचित करेगी।

आर.बी.आई. ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नौ अतिरिक्त उपायों की घोषणा की है।

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, आर.बी.आई. गवर्नर ने कोविड-19 महामारी के कारण अशांत और अनिश्चित समय में वित्त के प्रवाह को सुचारू रूप से बनाए रखने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए नौ उपायों की घोषणा की है।

यह आर.बी.आई. द्वारा 17 अप्रैल, 2020 और 27 मार्च, 2020 को घोषित उपायों के पहले सेटों का अनुसरण करता है। ये उपाय हैं:

1. रेपो रेट में 40 आधार अंको की कमी की गई है।

• रेपो रेट में 40 आधार अंकों की कमी करके उसे 4.4% से 4.0% कर दिया गया है।
• सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर को 4.65% से घटाकर 4.25% कर दिया गया है।
• रिवर्स रेपो दर को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया गया है।

2. सिडबी के लिए पुनर्वित्त की सुविधा 90 और दिनों के लिए विस्तारित की गई है।

• छोटे उद्योगों के लिए किफायती ऋण की बढ़ी हुई आपूर्ति को सक्षम करने के लिए, आर.बी.आई. ने 17 अप्रैल, 2020 को आर.बी.आई. की नीति रेपो दर पर 90 दिनों के लिए सिडबी को 15,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा देने की घोषणा की है।
• इस सुविधा को अब 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है।

3. स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हेतु नियमों में छूट

• स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग, आर.बी.आई. द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को प्रदान की जाने वाली निवेश खिड़की है, जो अधिक निवेश करने की प्रतिबद्धता के बदले आसान नियम प्रदान करता है।
• नियम बताते हैं कि आवंटित निवेश सीमा का कम से कम 75% निवेश तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए, निवेशकों और उनके संरक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर समय सीमा को संशोधित कर अब छह महीने कर दिया गया है।

4. निर्यात और आयात का समर्थन करने के उपाय

• 31 जुलाई, 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा निर्यातकों को पूर्व-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण की स्वीकृति की अधिकतम अनुमेय अवधि मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई है।

5. एक्जिम बैंक को ऋण सुविधा

• राज्यपाल ने एक्जिम बैंक को भारत के विदेशी व्यापार का वित्तपोषण करने, सुविधाजनक बनाने और संवर्धन के लिए 15,000 करोड़ की ऋण सीमा की घोषणा की है।

• ऋण की सुविधा 90 दिनों के लिए दी गई है, इसे आगे एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान है।

• बैंक को ऋण, अपनी विदेशी मुद्रा संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जा रहा है, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर विनिमय सुविधा का लाभ उठाने के लिए दिया जा रहा है।

6. आयात का भुगतान करने के लिए आयातकों को अधिक समय

• भारत में सामान्य आयात (अर्थात सोने/ हीरे और कीमती पत्थरों/ आभूषणों के आयात को छोड़कर) के भुगतान की समय अवधि को शिपमेंट की तारीख से 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।

• यह 31 जुलाई, 2020 को या उससे पहले किए गए आयातों के लिए लागू होगा।

7. अधिकतम ऋण, जिसे बैंक किसी विशेष कॉरपोरेट समूह को दे सकते हैं, जिसे बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया गया है।

8. कार्यशील पूंजी पर ब्याज को ब्याज टर्म ऋण में परिवर्तित करने का प्रावधान

• ऋण देने वाली संस्थाओं को 6 महीने (अर्थात 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक) की कुल छूट अवधि में कार्यशील पूंजीगत सुविधाओं पर संचित ब्याज को एक वित्त पोषित ब्याज टर्म ऋण में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है, जिसे 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पूरी तरह से चुकाया जा सकता है।

9. विस्तारित समयावधि

• भारत में सामान्य आयात के खिलाफ आयात भुगतान की समयावधि को शिपमेंट की तारीख से 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने तक कर दिया गया है।

भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार पर प्रोटोकॉल पर द्वितीय परिशिष्ट, 2020

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, भारत और बांग्लादेश ने दोनों तरफ में से किसी भी तरफ पांच "पड़ाव बंदरगाह" जोड़े हैं और प्रोटोकॉल (पानी) मार्गों को 8 से बढ़ाकर 10 कर दिया है जो व्यापार, आर्थिक गतिविधि और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार पर प्रोटोकॉल पर द्वितीय परिशिष्ट के संदर्भ में जानकारी

मार्ग:

भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आई.बी.पी.) मार्गों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 की जा रही है और मौजूदा मार्गों में नए स्थान भी जोड़े गए हैं:-

A. प्रोटोकॉल में आई.बी.पी. मार्ग संख्या 9 और 10 के रूप में गुमटी नदी के सोनमुरा-दौडखंडी क्षेत्र का समावेशन करने से भारतीय और बांग्लादेश के आर्थिक केंद्रों के साथ त्रिपुरा और आसपास के राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यह मार्ग 1 से 8 तक सभी मौजूदा आई.बी.पी. मार्गों को जोड़ने वाला होगा।

B. राजशाही-धूलियन-राजशाही मार्ग और अरिचा तक इसका विस्तार

• यह बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे के उन्नयन में मदद करेगा क्यों कि यह इस मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश के उत्तरी भाग में पत्थर के चिप्स/ एकत्रीकरण की परिवहन लागत को कम करेगा।

• यह दोनों तरफ के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों को भी कम करेगा।

C. पड़ाव बंदरगाह (पोर्ट्स ऑफ़ कॉल)

• पड़ाव बंदरगाह का अर्थ है मालवाहक संचालन के लिए अपनी निर्धारित यात्रा पर एक जहाज के लिए एक मध्यवर्ती ठहराव या आपूर्ति या ईंधन लेना।

• भारतीय पक्ष में नए पांच " पड़ाव बंदरगाह"- धुलियन, मइया, जोगीगोफा, कोलाघाट और सोनमुरा हैं और बांग्लादेश की ओर राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाउदकंडी और बहादुराबाद हैं।

D. नए जोड़े गए पड़ाव बंदगाह

• नए पड़ाव बंदरगाह के रूप में भारत में जोगीगोफा और बांग्लादेश के बहादुराबाद को शामिल किया गया है जो मेघालय, असम और भूटान तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

• ये नए पड़ाव बंदरगाह भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर परिवहन किए गए कार्गो को लादने और उतारने में सक्षम होंगे और नए स्थानों और उनके आंतरिक इलाकों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगे।

अंतर्देशीय जल पारगमन पर प्रोटोकॉल के संदर्भ में जानकारी

• यह प्रोटोकॉल, जो पहली बार 1972 (बांग्लादेश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद) में हस्ताक्षरित किया गया था, दोनों देशों के बीच साझा इतिहास और दोस्ती का प्रतिबिंब है।

• यह 2015 में पांच वर्षों के लिए आगे अगले पांच वर्षों के लिए स्वचालित रूप से नवीनीकृत होने प्रावधान के साथ नवीनीकृत किया गया था, जिससे विभिन्न हितधारकों को दीर्घकालिक आश्वासन दिया गया था।

"सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र" का 9वां संस्करण जारी किया गया है।

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्र सरकार ने "सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र" का 9वां संस्करण जारी किया है।

सत्यमेव जयते
Government of India

सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के 9वें संस्करण की मुख्य विशेषताएं

• इसमें वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण कार्यों का विवरण शामिल है।

• दस्तावेज़ में 2019-20 से 2021-22 तक वित्तीय वर्षों के लिए केंद्र सरकार की ऋण प्रबंधन रणनीति भी शामिल है, जो सरकार की ऋण योजना का मार्गदर्शन करेगी।

• केंद्र सरकार के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में 0.1% की मामूली गिरावट होकर 2017-18 में 45.8% से वित्त वर्ष 19 में 45.7% हो गई है।

• सामान्य सरकार ऋण (जी.जी.डी.) -जीडीपी अनुपात मार्च, 2019 के अंत में 68.6 प्रतिशत था, जो कि मार्च, 2018 के अंत में 68.7 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा कम है।

• घरेलू ऋण, वित्त वर्ष 19 में केंद्र की देनदारियों का लगभग 94.1% है। इसमें से घरेलू ऋण का 84.4%, बाजार योग्य प्रतिभूतियों से बना है।

• मार्च, 2019 के अंत में भारत में सार्वजनिक ऋण को अस्थायी आंतरिक ऋण के साथ मुख्य रूप से निश्चित ब्याज दरों पर अनुबंधित किया गया है, जो जी.डी.पी. के 0.9 प्रतिशत का निर्माण करता है।

• सबसे दीर्घकालिक प्रतिभूति का कार्यकाल 37 वर्ष था।

• केंद्र का आई.पी.-आर.आर. अनुपात (राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान), 2012-13 में 35.6 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 37.5 प्रतिशत था।
• वित्तीय वर्ष 2018-19 तक केंद्र के लिए औसत ब्याज लागत (ए.आई.सी.) 7.1% पर अपरिवर्तित रही थी।
• इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 19 में ए.आई.सी. की मामूली जी.डी.पी. विकास दर 3.9% थी। हालांकि, यह स्थायी ऋण मापदंडों की सीमा के भीतर थी।

सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के संदर्भ में जानकारी

• केंद्र सरकार वर्ष 2010-11 से सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र जारी कर रही है।
• यह भारत सरकार की समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।
• यह वर्ष के दौरान ऋण परिचालन का एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ाता है।
• 2015-16 से, प्रकाशन में "केंद्र सरकार ऋण पर सांख्यिकी की पुस्तिका" और "ऋण प्रबंधन रणनीति" भी शामिल है, जिसे स्थिति पत्र में शामिल किया गया था, इस प्रकार संपूर्ण सार्वजनिक ऋण-संबंधित जानकारी को एक स्थान पर लाया गया है।
• केंद्र सरकार के ऋण में भारत की समेकित निधि (जिसे सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है) के खिलाफ अनुबंधित केंद्र सरकार की सभी देनदारियां शामिल हैं और सार्वजनिक खाते में देयताएं शामिल हैं, जिन्हें अन्य देयताएं कहा जाता है।

सार्वजनिक ऋण को आगे आंतरिक और बाहरी ऋण में वर्गीकृत किया गया है।

• विपणन योग्य ऋण में सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल शामिल हैं, जो नीलामी के माध्यम से जारी किए गए हैं।
• गैर-विपणन योग्य ऋण में माध्यमिक ट्रेजरी बिल (14-दिवसीय आई.टी.बी.) शामिल होते हैं, जो राज्य सरकार/ पुदुचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों और चुनिंदा केंद्रीय बैंकों को जारी किए जाते हैं, छोटी बचत के खिलाफ विशेष प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ एक्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और क्षतिपूर्ति और अन्य बांड को प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं।

स्रोत- ई.टी.

विज्ञान और तकनीकि समसामयिकी

पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर (चुंबकीय गोला)

खबरों में क्यों है?

• भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक सामान्यीकृत एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है, जो निकट-पृथ्वी प्लाज्मा वातावरण या पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना में उपयोगी हो सकता है।

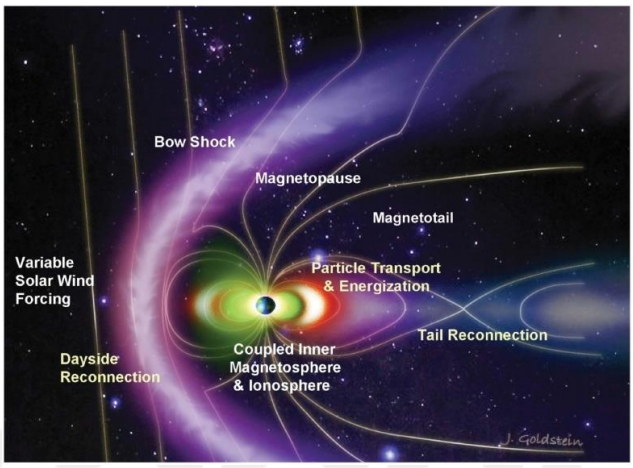

पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के संदर्भ में जानकारी

• मैग्नेटोस्फीयर, पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष का क्षेत्र है, जहां प्रमुख चुंबकीय क्षेत्र, ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र के बजाय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है।

• मैग्नेटोस्फीयर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर हवा की परस्पर क्रिया से बनता है।

• सौर हवा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच की सीमा को मैग्नेटोपॉज़ कहा जाता है।

• सीमा लगातार बदलती रहती है क्यों कि हमेंशा बदलने वाली सौर पवनें पृथ्वी की छोटी भोजनशाला के रूप में कार्य करती हैं।

• जबकि मैग्नेटोपॉज, हमें सौर हवा से कुछ हद तक बचाता है, यह अभेद्य से दूर है और ऊर्जा, द्रव्यमान और संवेग को सौर हवा से पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के अंदर के क्षेत्रों में स्थानांतरित करता है।

• सौर हवा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और अंतर्निहित वायुमंडल और आयनमंडल के प्रभाव के बीच परस्पर क्रिया, विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्र, प्लाज्मा बनाता है।

• ब्रह्मांड में लगभग 99% पदार्थ प्लाज्मा के रूप में है, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर भी यह सामग्री शामिल है।

• मैग्नेटोस्फीयर के अंदर स्थितियां अत्यधिक गतिशील हैं और एक "अंतरिक्ष मौसम" का निर्माण करती हैं जो तकनीकी प्रणालियों और मानवीय गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं जैसे:

• विकिरण बेल्ट, उपग्रहों के संचालन पर प्रभाव डाल सकती हैं।

• मैग्नेटोस्फीयर से कण और धाराएं ऊपरी वायुमंडल को गर्म कर सकती हैं और इसके परिणामस्वरूप उपग्रह अपने स्थान से हट सकता है जो कम ऊंचाई वाली पृथ्वी-परिक्रमा उपग्रहों की कक्षाओं को प्रभावित कर सकता है।

• मैग्नेटोस्फीयर से आयनमंडल पर प्रभाव, संचार और नेवीगेशन प्रणालियों को भी प्रभावित कर सकता है।

पृष्ठभूमि

• कई हजार वर्ष पहले चीन ने खोजा था कि कुछ चुंबकीय खनिज, जिन्हें लॉडेस्टोन कहा जाता है, वह व्यापक रूप से संरेखित होंगे।
• उत्तर-दक्षिण दिशा
• इस प्रभाव का कारण 1600 तक नहीं समझा जा सका था जब तक विलियम गिल्बर्ट ने डीमैग्नेट प्रकाशित नहीं किया था और यह व्याख्या की थी कि हमारी पृथ्वी, एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है और लोडस्टोन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित हो रहे हैं।

नोट:

• जनवरी, 2019 में ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया था कि पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, कनाडा में अपनी वर्तमान स्थिति से साइबेरिया तक बढ़ रहा है।
• यह स्थानांतरण भूभौतिकीविदों को विश्व चुंबकीय मॉडल पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसका उपयोग नेविगेशन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

पल्स ऑक्सीमीटर

खबरों में क्यों है?

• दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां कोविड-19 के रोगियों का परीक्षण करने के साथ ही इलाज करने में भी संघर्ष कर रही हैं, कुछ विशेषज्ञों ने रोगियों या संदिग्धों का परीक्षण करने के लिए एक चिकित्सा उपकरण का उपयोग करने की वकालत की है जिसे 'पल्स ऑक्सीमीटर' कहा जाता है।

पल्स ऑक्सीमीटर क्या है?

• "पल्स ऑक्सीमीटर", एक परीक्षण है जिसका उपयोग रक्त के ऑक्सीजन स्तर (ऑक्सीजन संतृप्तता) को मापने के लिए किया जाता है।
• यह एक आसान, दर्द रहित उपाय है कि आपके हृदय से शरीर के अंगों तक जैसे कि हाथों और पैरों तक कितनी बेहतर ढंग से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है।
• इस डिवाइस का उपयोग सामान्यत: उन रोगियों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए किया जाता है, जिनके पास ऐसी ज्ञात स्थितियां होती हैं, जैसे कि हृदय और फेफड़े की स्थितियां, जो रक्त ऑक्सीजन के स्तर को प्रभावित करती हैं और उन लोगों के लिए जो सांस की तकलीफ जैसे लक्षण दर्शाते हैं।
• यह डिवाइस लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन की संतृप्तता को मापती है और इसे किसी व्यक्ति की उंगलियों, पैर की उंगलियों, नाक, पैर, कान या माथे से जोड़ा जा सकता है।
• उपयोग के बाद इसका पुन: उपयोग या निपटान किया जा सकता है।

यू.वी. कीटाणुशोधन टॉवर

खबरों में क्यों है?

• रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) ने उच्च संक्रमण-ग्रस्त क्षेत्रों के तेजी से और रसायन-मुक्त कीटाणुशोधन के लिए एक पराबैंगनी (यू.वी.) कीटाणुशोधन टॉवर विकसित किया है।

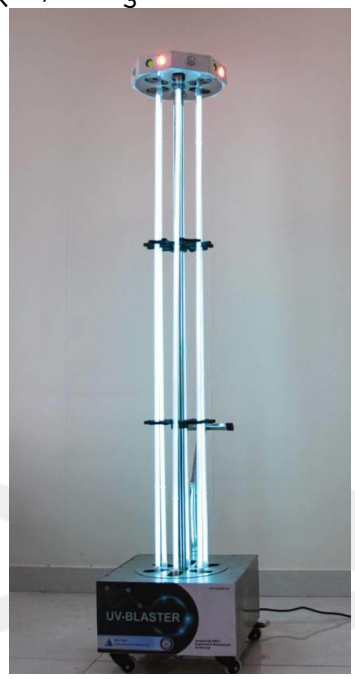

पराबैंगनी (यू.वी.) कीटाणुशोधन टॉवर के संदर्भ में जानकारी

• इसे दिल्ली स्थित लेजर विज्ञान एवं प्रैद्योगिकी केंद्र (LASTEC) द्वारा न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरूग्राम के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया था।

• यू.वी. ब्लास्टर नामक उपकरण, उच्च संक्रमण-ग्रस्त क्षेत्रों के तेजी से और रसायन मुक्त कीटाणुशोधन के लिए एक यू.वी. आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है।

• यह प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटरों और अन्य गैजेट्स जैसी उच्च तकनीकी सतहों के लिए उपयोगी है, जो रासायनिक तरीकों से कीटाणुशोधन के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

• यह लोगों के अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों जैसे हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, महानगरों, होटलों, कारखानों, कार्यालयों आदि के लिए भी प्रभावी है।

• यू.वी. आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर का उपयोग वाई.फाई. का उपयोग करके लैपटॉप/ मोबाइल फोन के माध्यम से रिमोट संचालन द्वारा किया जा सकता है।

स्रोत- द हिंदू

डॉक्टरों के लिए साइलेंट हाइपोक्सिया पहेली बना हुआ है।

खबरों में क्यों है?

• दुनिया भर के चिकित्सक कोविड-19 के लिए लोगों का इलाज करने में व्यस्त हैं, इनमें से कई ने साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया नामक स्थिति की सूचना दी है, जिसमें मरीजों में रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, फिर भी उनमें सांस फूलने के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं।

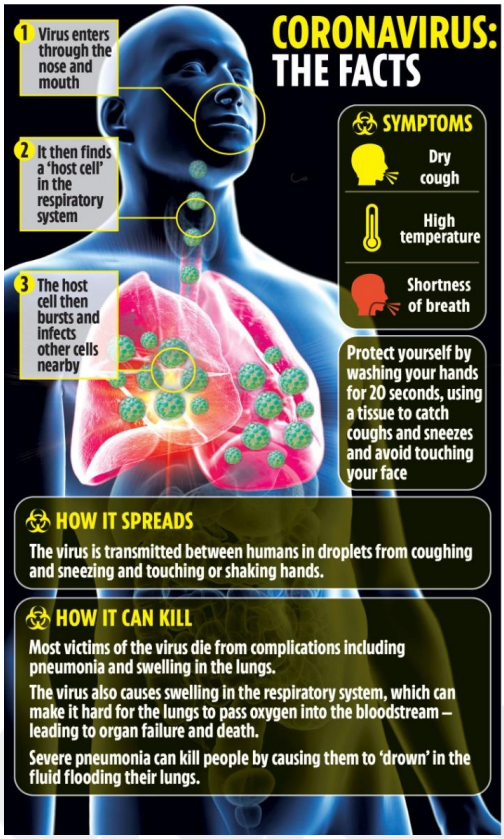

हाइपोक्सिया क्या है?

• हाइपोक्सिया, एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है।

• हाइपोक्सिया को या तो सामान्यीकृत किया जा सकता है, पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है या स्थानीय रूप से, शरीर के किसी एक क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।

साइलेंट हाइपोक्सिया क्या है?

• यह कोविड-19 के गंभीर रोगियों में पाई जाने वाली एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है- जो साइलेंट हाइपोक्सिया से पीडित है, यह ऑक्सीजन की कमी का एक रूप है जिसका नियमित हाइपोक्सिया की तुलना में पता लगाना कठिन है।

• कई रिपोर्टों के अनुसार, 'साइलेंट' या 'हैपी' हाइपोक्सिया में रोगी कम संकट में दिखाई देते हैं। कई कोविड-19 रोगी 80 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन का स्तर होने के बावजूद आसानी और सतर्कता में सामान्य देखे गए हैं।

• इस घटना ने कई चिकित्सकों को हैरान कर दिया है।

हाइपोक्सिया के कारण

• डॉ. लेविटन के अनुसार, ऐसा इसलिए होता है क्यों कि कोविड निमोनिया के रोगियों में वायरस के कारण वायु की थैली गिर जाती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। हालांकि, फेफड़े शुरू में तरल पदार्थ के साथ कठोर या भारी नहीं हो जाते हैं और "मुलायम" बने रहते हैं- वे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने और इसके निर्माण से बचने में सक्षम होते हैं।

• इस प्रकार, रोगियों को सांस की कमी महसूस नहीं होती है।

लामा बनाम कोविड-19

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सर्दी में कोविड-19 के प्रभावी उपचार के लिए विंटर नामक लामा पाया है जो एक असंभाव्य मित्र है।

यह कैसे काम करता है?

• शोधकर्ताओं ने लामाओं द्वारा उत्पादित एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी की दो प्रतियों को जोड़ा है और एक नया एंटीबॉडी बनाया है, जो कि नॉवेल कोरोनोवायरस सार्स-सी.ओ.वी.-2 पर एक प्रमुख प्रोटीन को कसकर बांधता है।

• यह प्रोटीन, एक स्पाइक प्रोटीन है, जिसे कोरोना (क्राउन) के आकार का बनाया गया है, जो कोरोनावायरस को अपना नाम देता है।

• ये वह प्रोटीन भी है जो वायरस को मानव और पशु कोशिकाओं में टूटने की अनुमति देता है।

• नए एंटीबॉडी और सुसंस्कृत कोशिकाओं के साथ प्रारंभिक परीक्षणों ने संकेत दिया है कि एंटीबॉडी, इन स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से कोशिकाओं को संक्रमित होने से रोकती है।

लामा के संदर्भ में जानकारी

लामा एक घरेलू दक्षिण अमेरिकी ऊंट है, जिसका व्यापक रूप से पूर्व-कोलंबियन युग से एंडियन संस्कृतियों द्वारा मांस और पैक जानवर के रूप में उपयोग किया जाता है।

• लामा बहुत सामाजिक जानवर हैं और दूसरों के साथ झुंड में रहते हैं। उनकी ऊन बहुत नरम और लानौलिन मुक्त होती है।

वितरण:

• ये अब जंगल में नहीं पाए जाते हैं।

• वे अब पूरे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, चिली, बोलीविया और पेरू में वितरित हैं।

• वर्तमान में, लगभग 70% लामा बोलीविया में पाए जाते हैं।

विजाग गैस रिसाव त्रासदी

खबरों में क्यों है?

• गैस रिसाव, 1984 की भोपाल त्रासदी की याद दिलाता है, जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पांच गांवों में कम से कम 11 लोगों की जान ली है और हजारों निवासियों को प्रभावित किया है। रिसाव का स्रोत दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल.जी. के स्वामित्व वाला एक स्टाइरीन गैस का संयत्र था, जो तटीय शहर से लगभग 15 कि.मी. दूर गोपालपट्टनम के पास आर.आर.वी. पुरम में स्थित था।

स्टाइरीन गैस के संदर्भ में जानकारी

• यह एक ज्वलनशील तरल है, जिसका उपयोग पॉलीस्टीरिन प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबर और लैटेक्स के निर्माण में किया जाता है।

• यह वाहनों के धुएं, सिगरेट के धुएं और फलों और सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है।

स्टाइरीन के संपर्क में आने पर प्रभाव:

A. अल्पकालिक संपर्क: इसके परिणामस्वरूप श्वसन संबंधी समस्याएं, आंखों में जलन, श्लेष्म झिल्ली में जलन और जठरांत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

B. दीर्घकालिक संपर्क: यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है और परिधीय न्यूरोपैथी जैसी अन्य संबंधित समस्याओं को जन्म दे सकता है।

C. यह कुछ मामलों में कैंसर और अवसाद को भी जन्म दे सकता है।

लक्षण

• सिरदर्द, कम सुनाई देना, थकान, कमजोरी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना आदि हैं।

अफ्रीकी स्वाइन बुखार

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, अफ्रीकी स्वाइन बुखार (ए.एस.एफ.) के कारण असम में 2,900 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है, जो मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है लेकिन सूअरों के लिए विनाशकारी हो सकता है, जो भारत में पहली बार रिपोर्ट किया गया है।

अफ्रीकी स्वाइन बुखार के संदर्भ में जानकारी

- यह एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो जंगली और घरेलू सूअरों को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्यत: तीव्र रक्तस्रावी बुखार होता है।
- इस बीमारी में लगभग 100 प्रतिशत केस मृत्यु दर (सी.एफ.आर.) है।
- इसके संचरण के मार्गों में एक संक्रमित या जंगली सुअर (जीवित या मृत), जैसे खाद्य सामग्री, फ़ीड या कचरा या जैविक वैक्टर जैसे टिक जैसी दूषित सामग्रियों के अंतर्ग्रहण के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क शामिल हैं।
- यह अन्य जानवरों की बीमारियों जैसे कि पैर और मुंह की बीमारी से कम संक्रामक है।
- यह मानव को प्रभावित नहीं करता है।
- इस बीमारी की विशेषता 'सूअरों की अचानक मौत' होना है

क्लासिकल स्वाइन बुखार (हॉग हैजा) के संदर्भ में जानकारी

- यह सूअरों से संबंधित एक वायरल बीमारी है, जो अत्यधिक संक्रामक है और सामान्यत: सूअरों द्वारा संक्रामक मांस या मांस उत्पादों के सेवन से फैलती है या संक्रमित सूअरों या उनके मल या शरीर के तरल पदार्थ आदि के साथ स्वस्थ सूअरों के संपर्क में आने से फैलती है।
- यह मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए भी ज्ञात नहीं है।
- यह स्वाइन फ्लू से भिन्न है, जो मनुष्यों को भी प्रभावित करता है।

एंटीबॉडीज hmAbs

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में सी.एस.आई.आर. ने अपने न्यू मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी लीडरशिप पहल (एन.एम.आई.टी.एल.आई.) कार्यक्रम के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज (hmAbs) को विकसित करने के लिए एक बहु-संस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, जो रोगियों में सार्स-सी.ओ.वी.-2 को बेअसर कर सकती है।

एन.एम.आई.टी.एल.आई. कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

• यह परियोजना राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (एन.सी.सी.एस.), आई.आई.टी.-इंदौर और प्रेडोमिक्स टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा व्यावसायीकरण साझेदार के रूप में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना का उद्देश्य

• इस परियोजना का उद्देश्य स्वस्थ हो चुके कोविड-19 रोगियों से सार्स-सी.ओ.वी.-2 के लिए hmAbs उत्पन्न करना और उच्च आत्मीयता और निष्क्रिय एंटीबॉडीज का चयन करना है।

• इस परियोजना का उद्देश्य वायरस के भविष्य के अनुकूलन का अनुमान लगाना और hmAbs क्लोन उत्पन्न करना है, जो उत्परिवर्तित वायरस को निष्क्रिय कर सकता है, जिससे कि भविष्य के सार्स-सी.ओ.वी. संक्रमणों का मुकाबला करने के लिए इसे आसानी से उपयोग किया जा सके।

• बी.बी.आई.एल., वाणिज्यिक साझेदार होगा और उत्पन्न होने वाले hmAbs के बाद के विकास और व्यावसायीकरण हेतु जिम्मेदार होगा।

एच.आर. 6819: पृथ्वी का सबसे निकटतम ब्लैक होल

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, शोधकर्ताओं ने एच.आर. 6819 के रूप में ज्ञात पृथ्वी के सबसे निकटतम ब्लैक होल की खोज की है, जो कि सूर्य के द्रव्यमान का कम से कम 4.2 गुना है, यह एक तथाकथित ट्रिपल सिस्टम में दो तारों से गुरुत्वाकर्षण रूप से बंधे हुए है।

एच.आर. 6819 के संदर्भ में जानकारी

• इसे एच.डी. 167128 या क्यू.वी. टेलीस्कोपी के रूप में भी जाना जाता है, यह टेलीस्कोपियम के दक्षिणी तारामंडल में एक ट्रिपल तारा प्रणाली है, जो कि सूर्य से 1,120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।
• इसे पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से नक्षत्र टेलीस्कोपियम में नग्न आंखों से देखा जा सकता है।
• एच.आर. 6819 एक पदानुक्रमित ट्रिपल है जिसमें अज्ञात अवधि की एक विस्तृत कक्षा में एक पारंपरिक तारा होता है, एक **B3 III तारा** है और एक गैर-उत्सर्जक (नॉन-एक्सीरेटिंग) ब्लैक होल को **Ab** नामित किया गया है।
• ये असाधारण रूप से सघन वस्तुएं हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि इससे प्रकाश भी बच नहीं सकता है।
• कुछ अत्यंत विशालकाय हैं, जैसे कुछ हमारी आकाशगंगा के केंद्र में पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जो कि सूर्य के द्रव्यमान का चार मिलियन गुना है।

स्रोत- द हिंदू

कोविड (COaVID) कवच एलीसा: भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी-आधारित परीक्षण किट है।

खबरों में क्यों है

• हाल ही में, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे ने नॉवेल कोरोना वायरस के निदान के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी-आधारित एलीसा परीक्षण किट- COaVID कवच विकसित की है।

एलीसा टेस्ट के संदर्भ में जानकारी

• एलीसा (ELISA) का पूरा नाम एंजाइम-लिंक्ड इम्युनोसे है, जो रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सामान्यत: इस्तेमाल किया जाने वाला प्रयोगशाला परीक्षण है।

महत्व

• किट ने विभिन्न स्थलों पर सत्यापन परीक्षणों में उच्च संवेदनशीलता और सटीकता प्रदर्शित की है।
• यह लगभग ढाई घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण कर सकती है।

नोट:

• आई.सी.एम.आर.- राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एन.आई.वी.), पुणे देश की शीर्ष प्रयोगशाला है, जिसमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और अनुसंधान हेतु विशेषज्ञता है।

स्रोत- द हिंदू

'प्रतिरक्षा पासपोर्ट' और 'जारी प्रमाणपत्र'

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, चिली ने घोषणा की है कि यह उन व्यक्तियों के लिए "जारी प्रमाणपत्र" पर जोर देगा, जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं।
• प्रमाणपत्र, वायरस के लिए प्रतिरक्षा साबित नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय इसे उन लोगों को जारी किया जाएगा जिन्होंने बीमारी के लिए पॉजिटिव परीक्षण आने के बाद अनिवार्य क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर ली है।
• अन्य देशों जैसे यू.के., इटली और जर्मनी ने भी "प्रतिरक्षा पासपोर्ट" और "जोखिम-मुक्त प्रमाण पत्र" जारी करने पर विचार किया है।

प्रतिरक्षा प्रमाणपत्र के संदर्भ में जानकारी

- ये प्रमाणपत्र इस विचार पर आधारित है कि व्यक्ति में किसी भी संक्रमण के प्रति प्राकृतिक प्रतिरक्षा विकसित करता है, जो फिर से बीमारी के संपर्क में आने से उसकी रक्षा करती है।
- एक बार वायरल रोगज़नक़ से संक्रमित होने पर शरीर की जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है, जो वायरस के प्रसार को धीमा कर देती है और संभवतः किसी भी लक्षण को जन्म नहीं देती है।

प्रतिरक्षा प्रमाणपत्र के संदर्भ में जानकारी

- ये प्रमाणपत्र इस विचार पर आधारित है कि व्यक्ति में किसी भी संक्रमण के प्रति प्राकृतिक प्रतिरक्षा विकसित करता है, जो फिर से बीमारी के संपर्क में आने से उसकी रक्षा करती है।
- एक बार वायरल रोगज़नक़ से संक्रमित होने पर शरीर की जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है, जो वायरस के प्रसार को धीमा कर देती है और संभवतः किसी भी लक्षण को जन्म नहीं देती है।
- "एक अनुकूली प्रतिक्रिया, तब इस प्रतिक्रिया का अनुसरण करती है", जिसमें शरीर एंटीबॉडी बनाता है, जो वायरस को बांधता है और इसे खत्म करने में मदद करता है।
- यदि यह प्रतिक्रिया काफी मजबूत है, तो यह समान रोगज़नक़ से पुन: संक्रमण को भी रोक सकता है।

चिंता का विषय

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने इस प्रकार के प्रमाण पत्र का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है क्यों कि अभी तक कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को पुन: संक्रमण नहीं हुआ है।
- वर्तमान में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जो लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं और उनमें एंटीबॉडीज हैं, वे दूसरे संक्रमण से सुरक्षित हैं।

प्रतिरक्षा प्रमाणपत्र बनाम टीका प्रमाणपत्र के बीच अंतर

- प्रतिरक्षा पासपोर्ट, मूल रूप से वैक्सीन प्रमाणपत्र से भिन्न हैं क्यों कि पहला वाला संक्रमण को प्रोत्साहन देता है और बाद वाला टीकाकरण कराने को प्रोत्साहित करता है।
- टीका प्रमाणपत्र, शारीरिक दूरी के उपायों को दूर करना शुरू करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है, लेकिन यह वैक्सीन तैयार होने के बाद ही लागू किया जा सकता है।

रक्षा अनुसंधान पराबैंगनी सैनेटाइजर

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) की प्रीमियर प्रयोगशाला, अनुसंधान केंद्र इमारत (आर.सी.आई.) ने रक्षा अनुसंधान पराबैंगनी सेनेटाइज़र डिवाइस विकसित की है।

रक्षा अनुसंधान पराबैंगनी सैनेटाइजर (डी.आर.यू.वी.एस.) के संदर्भ में जानकारी

• यह एक स्वचालित संपर्क रहित यू.वी.सी. सैनिटाइजिंग कैबिनेट है।

• इसे मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को सैनेटाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अनुसंधान केंद्र इमारत (आर.सी.आई.) द्वारा विकसित अन्य उपकरण:

✓ नोट्सक्नील

• यह एक स्वचालित यू.वी.सी. मुद्रा सैनिटाइजिंग डिवाइस है, जो इनपुट स्लॉट से डाले गए नोट को उठाती है और उसे पूर्णतय: कीटाणुशोधन के लिए यू.वी.सी. लैंप की एक श्रृंखला से गुजारती है।

क्वांटम डॉट्स

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, अघरकर अनुसंधान (ए.आर.आई.), पुणे के शोधकर्ताओं ने क्वांटम कुशल और बायोकॉमपैटिबल क्वांटम डॉट्स (क्यू.डी.एस.) के संश्लेषण के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की है।

बायोकॉम्पैटिबल क्वांटम डॉट्स के संदर्भ में जानकारी

• यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में दृश्यमान तरंगदैर्ध्य श्रेणियों के भीतर कोशिकीय अंगो और प्रक्रियाओं की इमेज को कैप्चर करने में उपयोग किया जाता है।

• वर्तमान में, कोशिकीय अंगो के प्रत्योक्षकरण, कोशिकीय प्रक्रियाओं का पता लगाना आदि जैसे बायोइमेजिंग अनुप्रयोग पारंपरिक फ़्लोरोफ़ोर्स पर निर्भर हैं, जो प्रतिदीप्तशील रासायनिक यौगिक हैं जो संदीपन पर प्रकाश को पुन: उत्सर्जित कर सकते हैं।

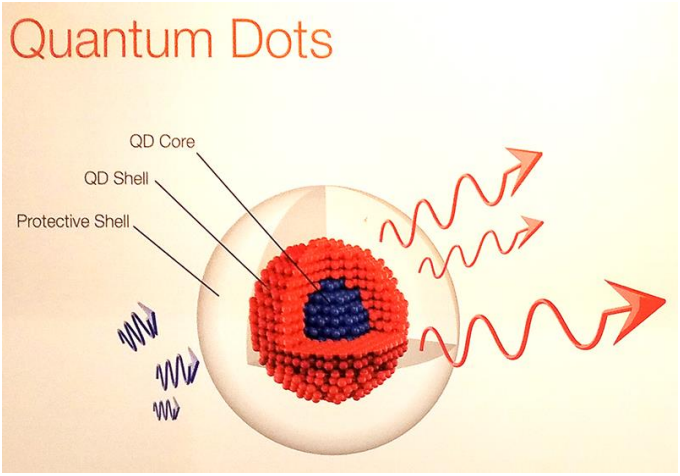

क्वांटम डॉट्स क्या हैं?

• क्वांटम डॉट्स, अर्द्धचालक कण होते हैं, जिनका विशिष्ट व्यास 2-10 एन.एम. होता हैं।

• क्वांटम डॉट्स (क्यू.डी.एस), मानव निर्मित नैनोस्केल क्रिस्टल हैं जो इलेक्ट्रॉनों का परिवहन कर सकते हैं।

• क्वांटम डॉट्स, इस तंत्र के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं: बाहरी प्रोत्साहन के अंतर्गत, डॉट सामग्री के कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी परमाणु कक्षा से बचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा को अवशोषित करते हैं।

• जब पराबैंगनी प्रकाश, इन अर्धचालकता वाले नैनोकणों से टकराता है तो वे विभिन्न रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन कर सकते हैं।

• ये कृत्रिम अर्धचालक नैनोकण हैं, जिनके मिश्रण, सौर कोशिकाओं और प्रतिदीप्तशील जैविक लेबल में अनुप्रयोग पाए गए हैं।

• इसका उपयोग एकल-इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर में सक्रिय सामग्रियों के रूप में भी किया जा सकता है।

कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है।

कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन के संदर्भ में जानकारी

• यह पहली परीक्षण मशीन है, जो सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग के लिए खरीदी गई है और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है।

विशेषताएं

• यह राष्ट्र की सेवा में रियल टाइम पी.सी.आर. परीक्षण COVID -19 के प्रदर्शन के लिए एक पूर्णतय: स्वचालित, उच्च अंत मशीन है।

• कोबास 6800, 24 घंटों में 1200 नमूनों की उच्च प्रवाह क्षमता के साथ गुणवत्ता, उच्च-मात्रा टेस्टिंग प्रदान करेगी।

• मशीन को टेस्टिंग के लिए न्यूनतम बी.एस.एल.2 + रोकथाम स्तर की आवश्यकता होती है, इसे किसी भी सुविधा पर नहीं रखा जा सकता है।

• कोबास 6800 अन्य रोगजनकों जैसे वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी, एच.आई.वी., एम.टी.बी. (दोनों राइफैम्पिसिन और आइसोनियाज़िड प्रतिरोध), पैपिलोमा, सी.एम.वी., क्लामाइडिया, नेसेरिया आदि का पता लगा सकता है।

एंजियोटेंसिन-परिवर्ती एंजाइम 2 (ए.सी.ई.2)

खबरों में क्यों है?

• एक अध्ययन के अनुसार, एस.सी.ई.-2 एंजाइम इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि पुरुष, महिलाओं की तुलना में कोविड-19 से अधिक ग्रस्त क्यों हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, पुरुषों में एंजियोटेंसिन-परिवर्ती एंजाइम 2 (ए.सी.ई. 2) का उच्च स्तर होता है, जो रक्त में एक प्रोटीन होता है जो सार्स सी.ओ.वी.-19 है, एक वायरस है जो कोविड-19 का कारण बनता है, मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए उपयोग करता है।

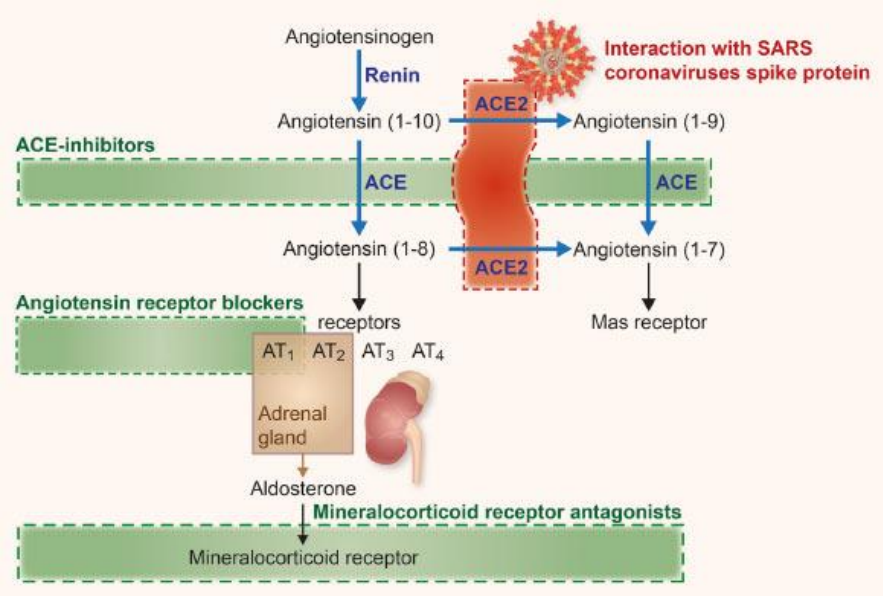

एंजियोटेंसिन-परिवर्ती एंजाइम 2 (ए.सी.ई.2) के संदर्भ में जानकारी

• यह एक एंजाइम अणु है, जो कोशिका झिल्ली के माध्यम से हमारी कोशिकाओं के आंतरिक भाग से बाहरी भाग को जोड़ता है।

• यह न केवल फेफड़ों में पाया जाता है, बल्कि हृदय, गुर्दे और ऊतकों लाइनिंग रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है और वृषण में विशेष रूप से यह उच्च स्तर में मौजूद होता है।

• यह एंजाइम अनिवार्य रूप से प्रवेश के एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है, जो कोरोनावायरस को हमारी कोशिकाओं पर आक्रमण करने और दोहराने की अनुमति देता है।

यह कैसे काम करेगा?

• ए.सी.ई.2 कोशिकाओं की सतह पर एक रिसेप्टर है जो कोरोनोवायरस को बांधता है और इसे स्वस्थ कोशिकाओं में प्रवेश करने और उन्हें संक्रमित करने की अनुमति देता है और बाद में यह कोशिका की सतह पर एक अन्य प्रोटीन द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसे TMPRSS2 कहा जाता है।

• ए.सी.ई.2 का उच्च स्तर फेफड़ों में मौजूद होता हैं और इसलिए, यह कोविड-19 से संबंधित फेफड़ों के विकारों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए माना जाता है।

इवेंटबॉट: एक नया मैलवेयर

खबरों में क्यों है?

भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया टीम (सी.ई.आर.टी.-इन.) के अनुसार, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने वाले एंड्रॉइड उपयोगकर्ता 'इवेंटबॉट' नामक एक नए मैलवेयर की चपेट में आ सकते हैं।

इवेंटबॉट

यह एक मोबाइल-बैंकिंग ट्रोजन और सूचना-चोरी है, जो वित्तीय एप्लीकेशनों से उपयोगकर्ता डेटा चोरी करने, उपयोगकर्ता के एस.एम.एस. संदेशों को पढ़ने और एस.एम.एस. संदेशों को बाधित करने के लिए एंड्रॉइड की इन-बिल्ट एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, जो मैलवेयर को दो-कारक प्रमाणीकरण से बचकर निकलने की अनुमति देता है।

- एक ट्रोजन वायरस प्राय: उपयोगकर्ता को धोखा देकर एक डिवाइस में प्रवेश करता है, यह विश्वास दिलाता है कि यह एक सॉफ्टवेयर है जिसकी उपयोगकर्ता को आवश्यक्ता है।
- फिर यह इसके भीतर से ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमला करता है।
- सी.ई.आर.टी.-इन के अनुसार, यह वायरस "काफी हद तक पेपाल बिजनेस, रिवोल्ट, बार्कलेज, यूनीक्रेडिट, कैपिटलवन यू.के., एच.एस.बी.सी. यू.के., ट्रांसफर वाइज, क्वॉइनबेस, पेसेफकार्ड आदि जैसे वित्तीय एप्लीकेशनों को लक्षित करता है।

भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया टीम (सी.ई.आर.टी.-इन.) के संदर्भ में जानकारी

- इसे 2004 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर एक संलग्न कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह हैकिंग और फ़िशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने हेतु नोडल एजेंसी है।

कम आक्रामक पृष्ठसक्रियकारक प्रशासन तकनीक

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में चिकित्सा तकनीक, जिसे कम आक्रामक पृष्ठसक्रियकारक प्रशासन (एल.आई.एस.ए.) के रूप में जाना जाता है, इसे जे.के. लॉन सरकारी बच्चा अस्पताल में शुरू किया गया है। इसे समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में फेफड़ों की बीमारी या श्वसन संकट सिंड्रोम के उपचार के लिए प्रयोग किया गया है।

कम आक्रामक पृष्ठसक्रियकारक प्रशासन तकनीक के संदर्भ में जानकारी:

- इसे यांत्रिक वायुसंचार के मद्देनजर श्वसन प्रबंधन और वायुसंचार के लिए फेफड़े-सुरक्षात्मक रणनीति के रूप में विकसित किया गया है, जिससे नवजात शिशुओं के अपरिपक्व फेफड़ों को नुकसान पहुंचा है।
- एल.आई.एस.ए. के लिए उपयुक्त माने जाने वाले शिशुओं को प्राथमिक सी.पी.ए.पी. या उच्च प्रवाह के साथ सांस की तकलीफ और बढ़ती ऑक्सीजन आवश्यकता के साथ प्रबंधित किया जाता है।
- इस नई तकनीक का मुख्य उद्देश्य कमजोर अपरिपक्व फेफड़ों को होने वाले नुकसान को कम करना था।

अगली पीढ़ी का बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण

खबरों में क्यों है?

- अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातुकर्म एवं नई सामग्री उन्नत अनुसंधान केंद्र (ए.आर.सी.आई.) और श्री चित्रा तिरूनल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से मनुष्यों में उपयोग के लिए बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण हेतु नई पीढ़ी की लौह-मैंगनीज आधारित मिश्र धातुओं का विकास किया है।

यह कैसे काम करता है?

- एक बॉयोडिग्रेडेबल सामग्री (Fe, Mg, Zn और बहुलक) है, चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान अखंडता को बनाए रखकर और मानव शरीर में किसी भी प्रत्यारोपण अवशेषों को छोड़े बिना धीरे-धीरे कम होता है।
- वे वर्तमान में प्रयुक्त धातु प्रत्यारोपण के बेहतर विकल्प हैं जो मानव शरीर में स्थायी रूप से बने रहते हैं।

• इस तरह के धातु प्रत्यारोपण प्रणालीगत विषाक्तता, पुरानी सूजन और थ्रॉम्बोसिस जैसे दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

संघटन

• यह लौह-मैंगनीज आधारित मिश्रधातु Fe-Mn है, जिसमें वजन में 29% अधिक Mn है।

• यह एक आशाजनक बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण है, जो एम.आर.आई. संगतता के साथ एक एकल ऑस्टेनिटिक चरण (लोहे का एक गैर-चुंबकीय रूप) प्रदर्शित करता है।

एक सिंडेमिक के लिए तैयारी कर रहा है।

खबरों में क्यों है?

• विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि कोविड-19 संभावित रूप से सिंडेमिक होगा।

सिंडेमिक के संदर्भ में जानकारी

• सिंडेमिक, एक ऐसी स्थिति है जब दो या दो से अधिक महामारी आबादी में बीमारी के बढ़ते बोझ को उत्पन्न करने के लिए सहक्रियात्मक रूप से परस्पर प्रभाव डालती हैं।

उदाहरण

• जब उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया में आगामी मानसून के मौसम में उभरने वाली डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं तो इस बात की संभावना है कि दुनिया, बीमारियों के बढ़ते बोझ का सामना करेगी और इस प्रकार सिंडेमिक की स्थिति बन जाएगी।

• यह एक स्थिति है जिसकी पहली बार 1990 के मध्य में चिकित्सा मानवविज्ञानी मेरिल सिंगर द्वारा व्याख्या की गई थी।

प्रसार और घटना के आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण

वैश्विक महामारी

• एक वैश्विक महामारी की घोषणा तब की जाती है जब एक नई बीमारी जिसके लिए लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता नहीं होती है, वह दुनिया भर में उम्मीद से अधिक फैलती है।

महामारी

• एक महामारी, एक बड़ा प्रकोप है, जो आबादी या क्षेत्र में फैलती है। यह प्रसार के सीमित क्षेत्र के कारण वैश्विक महामारी से कम गंभीर होती है।

स्थानिक महामारी

• एक बीमारी को स्थानिक महामारी कहा जाता है, जब इसके संक्रमणीय एजेंट की मौजूदगी या सामान्य प्रचलन, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या समूह के भीतर नियत होता है।

Rht14 और Rht18 बौना जीन

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, पुणे स्थित अघरकर अनुसंधान संस्थान (ए.आर.आई.) के वैज्ञानिकों ने गेहूं में दो वैकल्पिक बौने जीन Rht14 और Rht18 का मानचित्रण किया है।

बौने जीन के संदर्भ में जानकारी

• ये जीन बेहतर अंकुरण शक्ति और दीर्घकालिक कोलियोपटाइल्स से संबद्ध (युवा टहनी सिरों को खोल संरक्षित करता है) होते हैं।

• इन्होंने ड्यूरम गेहूं में गुणसूत्र 6A पर बौने जीनों का मानचित्रण किया है और गेहूं प्रजनन पंक्तियों में इन जीनों के बेहतर चयन हेतु डी.एन.ए.-आधारित मार्कर विकसित किए थे।

• डी.एन.ए.-आधारित मार्कर, गेहूँ प्रजनकों की गेहूँ प्रजनन पंक्तियों के विशाल समूह से इन वैकल्पिक बौने जीनों को ले जाने वाली गेहूँ पंक्तियों का चयन करने में मदद करेंगे। ये डी.एन.ए. आधारित मार्कर भारतीय गेहूं की किस्मों में इन जीनों के मार्कर-सहायतार्थ हस्तांतरण के लिए ए.आर.आई. में उपयोग किए जा रहे हैं।

लाभ

• यह प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करता है क्यों कि भारत में, किसानों द्वारा पुआल से छुटकारा पाने और गेहूं की बुवाई के लिए अपने खेतों को तैयार करने के लिए लगभग तेईस मिलियन टन बचे हुए चावल के अवशेषों को प्रतिवर्ष जलाया जाता है।

• शुष्क वातावरण, अल्पकालिक कोलियोपटाइल के साथ गेहूं की किस्मों के अंकुरण के लिए एक चुनौती पेश करता है।

सोनिक बूम

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, बेंगलुरू में "तेज ध्वनि" सुनाई दी है, जो एक सुपरसोनिक प्रोफाइल से युक्त भारतीय वायु सेना की परीक्षण उड़ान से उत्पन्न हुई थी।

• ऐसी तेज गति वाली उड़ानों के कारण होने वाले ध्वनि प्रभाव को 'सोनिक बूम' के रूप में जाना जाता है।

सोनिक बूम के संदर्भ में जानकारी

- यह वह ध्वनि होती है, जो शॉक तरंगो से संबंधित होती है, जो तब बनती हैं जब कोई वस्तु वायु की गति से तेज गति से वायु से होकर गुजरती है।
- सोनिक बूम, ध्वनि ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न करते हैं, जो मनुष्य के कानों को एक विस्फोट या बिजली कड़कने के समान सुनाई देती है।
- संभवतः सोनिक बूम तब सुनाई देता है जब कोई विमान 36,000 से 40000 फीट की ऊंचाई पर सुपरसोनिक से सबसोनिक में गति को कम करता है।
- बड़े सुपरसोनिक विमानों के कारण सोनिक बूम होता है, जो विशेष रूप से तेज ध्वनि का और चौंकाने वाले हो सकता है, लोगों को जगाने की प्रवृत्ति रखता हैं और कुछ संरचनाओं को मामूली नुकसान पहुंचा सकता है।

नोट्स:

- ध्वनि तरंगों के रूप में यात्रा करती है, जो अपने स्रोत से बाहर की ओर उत्सर्जित होती हैं।
- वायु में, इन तरंगों की गति कई कारकों जैसे हवा का तापमान और ऊंचाई पर निर्भर करती है।

स्पेस एक्स. डेमो-2 मिशन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, 27 मई को, नासा की स्पेस एक्स डेमो-2 परीक्षण उड़ान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आई.एस.एस.) के लिए उड़ान भरेगी, जो वर्ष 2011 में अंतरिक्ष शटल युग के समापन के बाद से अमेरिकी धरती से लॉन्च की जाने वाली पहली चालक दल वाली उड़ान बन जाएगी।

मिशन क्या है?

• डेमो-2 मिशन, नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम का हिस्सा है और अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेकन और डगलस हर्ले, स्पेस एक्स के चालक दल ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरेंगे। यह यान फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरेगा।

• नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम ने कई अमेरिकी एयरोस्पेस उद्योग कंपनियों के साथ काम किया है, जिससे कि आई.एस.एस. तक और आई.एस.एस. से विश्वसनीय और लागत प्रभावी पहुंच विकसित करने के लिए 2010 से अमेरिकी मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रणाली के विकास की सुविधा प्रदान की जा सके।

• ये यह प्रमाणित करने के लिए एक उड़ान परीक्षण है कि क्या स्पेसएक्स के चालक दल परिवहन प्रणाली का उपयोग नियमित रूप से अंतरिक्ष स्टेशन से चालक दल को लाने और छोड़ने के लिए किया जा सकता है।

• यह प्रणाली के लिए अंतिम उड़ान परीक्षण है और अंतरिक्ष यान (क्रू ड्रैगन), लॉन्च वाहन (फाल्कन 9), लॉन्च पैड (एल.सी.-39 ए) और संचालन क्षमताओं सहित अपने विभिन्न घटकों को सत्यापित करने का इरादा रखता है।

• इसके लॉन्च के बाद, क्रू ड्रैगन 28 मई को आई.एस.एस. के साथ धीरे-धीरे संपर्क करने और स्वायत्त रूप से डॉक करने के लिए चरणबद्ध युद्धाभ्यास करेगा।

नोट:

• बोइंग और स्पेसएक्स को नासा द्वारा सितंबर, 2014 में चुना गया था जिससे कि परिवहन प्रणालियों का विकास किया जा सके जिसका अर्थ है कि चालक दल को अमेरिका से आई.एस.एस. में स्थानांतरित किया जा सके।

• ये एकीकृत अंतरिक्ष यान, रॉकेट और संबद्ध प्रणाली नासा मिशन पर चार अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएंगे, जो परिक्रमा प्रयोगशाला पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित समय को अधिकतम करने हेतु सात चालक दलों का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे।

सुरक्षा घटनाक्रम

युद्धाभ्यास रिमपैक 2020

खबरों में क्यों है?

• अमेरिकी नौसेना इस वर्ष युद्धाभ्यास रिमपैक (प्रशांत का रिम) की मेजबानी करेगी लेकिन कोरोनोवायरस महामारी के कारण युद्धाभ्यास केवल समुद्र में आयोजित किए जाएंगे।

• रिमपैक 2020 की थीम "सक्षम, अनुकूलतम, भागीदार" है।

युद्धाभ्यास रिमपैक 2020 के संदर्भ में जानकारी

• यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के भारत-प्रशांत कमांड द्वारा हवाई में वर्ष 1971 के बाद द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास है।

उद्देश्य

• अंतर्राष्ट्रीय समुद्री साझेदारी को मजबूत करना, अंतर-कार्यकारिता को बढ़ाना और संभावित ऑपरेशनों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रतिभागी सेनाओं की तत्परता में सुधार करना है।

भारत और युद्धाभ्यास

• भारतीय नौसेना ने एक पर्यवेक्षक के रूप में 2006, 2010 और 2012 में युद्धाभ्यास में भाग लिया था, वर्ष 2014 से भारत सदस्य देश के रूप में भाग ले रहा है।

भारत और अमेरिका के बीच अन्य द्विपक्षीय युद्धाभ्यास

A. **वज्र प्रहार-** यह वर्ष 2010 से भारत और अमेरिका में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक विशेष बल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास है।

B. **युद्ध अभ्यास** - यह भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है।

C. **टाइगर ट्रायम्फ-** यह भारत और अमेरिका के बीच एक त्रि-सेवा सैन्य युद्धाभ्यास है।

आर्कटिक-एम. उपग्रह

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, रूस ने वर्ष 2020 के अंत में आर्कटिक-एम. उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया है।

अर्कटिका-एम उपग्रह के संदर्भ में जानकारी

• यह एक उपग्रह है, जिसका उद्देश्य आर्कटिक जलवायु की निगरानी करना है।

• सोयुज-2, 1बी वाहक रॉकेट, इसे एक युद्धपोत बूस्टर के साथ लॉन्च करेगा।

• रिमोट सेंसिंग आर्कटिक-एम, ध्रुवीय क्षेत्र में मौसम संबंधी स्थितियों की निगरानी करेगा।

चीन का सबसे बड़ा वाहक रॉकेट 'लॉन्ग मार्च-5 बी'

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, चीन ने अपने सबसे बड़े वाहक रॉकेट 'लॉन्ग मार्च-5 बी' को दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान के वेनचांग अंतरिक्ष लांच केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

लॉन्ग मार्च-5 बी के संदर्भ में जानकारी

• यह लॉन्ग मार्च-5 बी द्वारा किया गया पहला मिशन था, जो एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को ले जा रहा था। यह चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के "तीसरे चरण" का उद्घाटन करता है।

• लगभग 53.7 मीटर की लंबाई और लगभग 849 टन के उड़ान द्रव्यमान के साथ लॉन्ग मार्च-5 बी, एक हवाई कार्गो रिटर्न मॉड्यूल भी ले जा रहा था।

• अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यात्रियों को एक अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने में एक दिन का समय लेगा, जिसे चीन 2022 तक बनाने की योजना बना रहा है और अंतत: चंद्रमा तक पूरा करने की योजना बना रहा है।

• इसमें छह के चालक दल की क्षमता होगी।

एकीकृत युद्ध समूह शीघ्र ही संचालन में आएंगे।

खबरों में क्यों हैं?

• हाल ही में, समग्र सेना परिवर्तन के हिस्से के रूप में एकीकृत युद्ध समूह (आई.बी.जी.) बहुत शीघ्र चालू हो जाएगा।

एकीकृत युद्ध समूहों के संदर्भ में जानकारी

• वे ब्रिगेड के आकार के फुर्तीले आत्मनिर्भर लड़ाकू निर्माण हैं, जो विपक्षी के खिलाफ तेजी से हमले शुरू कर सकते हैं।

• प्रत्येक एकीकृत युद्ध समूह को जोखिम, भूभाग और कार्य के आधार पर बनाया जाएगा और संसाधनों को तीन T के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

• वे स्थान के आधार पर 12-48 घंटे के भीतर जुटने में सक्षम होंगे।

'टूर ऑफ ड्यूटी' (टी.ओ.डी.) या तीन वर्षीय शॉर्ट सर्विस

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, सेना तीन-वर्षीय 'टूर ऑफ़ ड्यूटी' (टी.ओ.डी.) या 'तीन वर्षीय शॉर्ट सर्विस' के अंतर्गत नागरिकों को परीक्षण आधार पर सेना में अधिकारियों और अन्य रैंकों दोनों स्तरों पर सेवा देने के लिए शामिल करने हेतु शुरू में सीमित संख्या में रिक्तियों पर विचार कर रही है और फिर बाद में इसमें विस्तार किया जाएगा।

• यह प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि इसे मंजूरी प्रदान की जाती है तो यह स्वैच्छिक होगा और चयन में मानदंडों में कोई भी नरमी नहीं की जाएगी।

तीन वर्षीय शॉर्ट सर्विस का उद्देश्य

• टी.ओ.डी. अवधारणा का समग्र उद्देश्य 'इंटर्नशिप/ अस्थायी अनुभव' प्रदान करना है।

• टी.ओ.डी. अधिकारियों और अन्य रैंकों के लिए आकर्षक अलगाव पैकेज, पुनर्वास पाठ्यक्रम, पेशेवर नकदी प्रशिक्षण अवकाश, भूतपूर्व सैनिक का दर्जा, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस.) की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

लाभ

• यह योजना उन लोगों के लिए है, जो सेना में एक पूर्ण कैरियर नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वर्दी पहनना चाहते थे।

• जिन व्यक्तियों ने टी.ओ.डी. का विकल्प चुना था, उन्हें अपने उन सहकर्मियों की तुलना में बहुत अधिक वेतन मिलेगा, जिन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया था और सेवा छोड़ने के बाद एक विशिष्टता होगी और कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाने के बाद भी उन्हें बढ़त हासिल होगी।
• सेना को उम्मीद है कि यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों के व्यक्तियों को आकर्षित करेगा।

रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के शुभारंभ को मंजूरी प्रदान की है।

रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के संदर्भ में जानकारी

• इसे रक्षा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण अवसंरचना ढांचे के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
• यह योजना पांच वर्ष तक चलेगी और यह निजी उद्योग के साथ साझेदारी में छह से आठ नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना करती है।
• यह स्वदेशी रक्षा उत्पादन की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके परिणामस्वरूप, सैन्य उपकरणों के आयात में कमी आएगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

वित्तपोषण प्रारूप

• इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को "अनुदान-सहायता" के रूप में सरकारी वित्तपोषण का 75 प्रतिशत तक प्रदान किया जाएगा।
• परियोजना लागत का शेष 25 प्रतिशत विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) द्वारा वहन किया जाएगा, जिसके घटक भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें होंगी।

विशेष प्रयोजन वाहन के संदर्भ में जानकारी

• यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होगा और उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करके स्व-स्थायी तरीके से योजना के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव भी करेगा।

स्रोत- द हिंदू

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock
Tests of State PCS Exams
CHECK HERE

gradeup

यूपीएससी ईपीएफओ मासिक करंट अफेयर्स मई 2020

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co